VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

Click here to oin our telegram Channel
@all_UPSC_Materials for latest updates

PT 365

राजव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2019 to February 2020)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

1. संवैधानिक मुद्दे 4

1.1. आरक्षण 4

1.1.1. विधायी निकायों में आरक्षण 4

1.1.2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण 5

1.1.3. दिव्यांगजनों (PWDs) के लिए पदोन्नति में आरक्षण 6

1.1.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 7

1.1.5. नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा मूल अधिकार नहीं 7

1.1.6. अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक जनजातियों को शामिल करने के लिए विधेयक 8

1.2. अधिकार 8

1.2.1. इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार 8

1.2.2. संपत्ति का अधिकार 10

1.2.3. राजद्रोह 10

1.2.4. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान 11

1.2.5. सबरीमाला मंदिर मामला 13

1.3 राष्ट्रपति 13

1.3.1.अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग 13

1.3.2. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 14

1.4. भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची 15

1.5. प्रवासी भारतीय नागरिक 15

1.6. संयुक्त राष्ट्र संघ एक "राज्य" नहीं है 16

1.7. सुर्ख़ियों में रहे अन्य संवैधानिक अनुच्छेद 16

2. संसद/राज्य विधायिका/ स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति 18

2.1. विधायिका 18

2.1.1. संसदीय समितियाँ 18

2.1.2. आचार समिति 18

2.1.3. विशेषाधिकारों का उल्लंघन 18

2.1.4. दल-परिवर्तन विरोधी कानून 19

2.1.5. राज्य विधान परिषद् 20

2.1.6. विपक्ष का नेता 21

2.1.7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 22

2.1.8. विधेयकों का व्यपगत होना 22

2.1.9. लाभ का पद 23

2.2. मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन 23

3. केंद्र-राज्य संबंध 26

3.1. नीति आयोग 26

3.2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तियुक्तकरण 28

VISION IAS

3.3. हिंदी भाषा का संवर्द्धन 29
3.4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 30
3.5. अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन 31
3.6. इनर लाइन परमिट 32
3.7.पूर्वोत्तर परिषद 33
3.8. अंतर-राज्य परिषद 33
3.9 दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव का विलय 34
3.10. छठी अनुसूची 34

4. न्यायपालिका 36

4.1. जजों की संख्या में वृद्धि और इनके स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान 36
4.1.1. उच्चतम न्यायालय हेतु और अधिक न्यायाधीश 36
4.1.2. न्यायाधीशों का स्थानांतरण 36
4.1.3. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 37
4.2. उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठ 37
4.3. ग्राम न्यायालय 38
4.4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 39
4.5. अधिकरणों के लिए नए नियम 40
4.6. ज़ीरो पेंडेंसी कोर्टस प्रोजेक्ट 41
4.7. उपचारात्मक याचिका 42
4.8. गवाह संरक्षण योजना 42

5. निर्वाचन 44

5.1. चुनावी बॉण्ड्स 44
5.2. राष्ट्रीय दल का दर्जा 44
5.3. परिसीमन आयोग 45
5.4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 46
5.5. सुर्खियों में रही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराएं 47
5.6. निर्वाचन आयोग द्वारा की गयी कुछ पहलें 47
5.6.1. राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली 47
5.6.2. मतदाता सत्यापन हेतु चेहरे की पहचान 47
5.6.3. डाक मतपत्र 47
5.6.4. विश्व निर्वाचन निकाय संघ 48

6. महत्वपूर्ण विधान/विधेयक 49

6.1. सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन 49
6.1.1. सूचना के अधिकार से संबंधित हालिया निर्णय 49
6.2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 52
6.3. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 53
6.4. माध्यस्थम् अधिनियम 54

VISION IAS

6.5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 55
6.5.1. राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 58
6.5.2. नागरिकता संशोधन अधिनियम 59
6.6. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 60
6.7. आधार रिपोर्ट 61
6.7.1 आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 62

7. सुर्खियों में रहें महत्वपूर्ण संवैधानिक/सांविधिक/कार्यकारी निकाय 64

7.1.भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 64
7.2. लोकपाल 65
7.3. भारत के 22वें विधि आयोग का गठन 66
7.4. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 67
7.5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 67
7.6. महालेखा नियंत्रक 68
7.7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) 68

8. शासन के महत्वपूर्ण पहलू 70

8.1. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 70
8.2. भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता 71
8.3. इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क 71
8.4. ई-गवर्नेंस पहलें 72
8.5. सुशासन सूचकांक 74
8.6. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2019 75
8.7. वन नेशन, वन राशन कार्ड 75

9. विविध 77

9.1. शत्रु संपत्ति 77
9.2. पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 78
9.3. ब्लू समुदाय 78
9.4. लोकतंत्र सूचकांक 79
9.5. सेंट्रल एडवर्स लिस्ट 79
9.6. वक़्फ़ संपत्तियां 80
9.7. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 80

VISION IAS

1. संवैधानिक मुद्दे

(Issues Related to Constitution)

1.1. आरक्षण

(Reservation)

1.1.1. विधायी निकायों में आरक्षण

(Reservation in Legislative Bodies)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम (126वां संविधान संशोधन विधेयक) अधिनियमित किया गया था।

संविधान में किए गए कुछ हालिया संशोधन

- **103वां -** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण।
- **102वां -** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा।
- **101वां -** वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करना।
- **100वां -** बांग्लादेश को/से अंत:क्षेत्रों (एन्क्लेव) का/की हस्तांतरण/प्राप्ति और अंत:क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करना।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अधिनियम दो उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया था यथा:
 - अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में **आरक्षण का विस्तार।**
 - लोकसभा और विधायी निकायों में आंग्ल-भारतीय (एंग्लो-इंडियन) को नामनिर्दिष्ट करने के प्रावधान का **विस्तार नहीं।**
- इस अधिनियम में **अनुच्छेद 334 में संशोधन करने** और केवल अनुसूचित जातियों (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में 25 जनवरी, 2030 तक **आरक्षण का विस्तार** (जो 2020 में समाप्त हो रहा था) करने का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 334** मूलतः यह उपबंधित करता है कि सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व **संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा।** किन्तु प्रत्येक 10 वर्ष (8वें, 23वें, 45वें, 62वें, 79वें और 95वें संशोधन द्वारा) के अंतराल पर इसे आगे विस्तारित किया जाता रहा है।
- वर्तमान में, केवल कुछ राज्य विधानसभाओं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में एक **आंग्ल भारतीय सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया गया है। यह संशोधन इसे समाप्त करता है।**
- वर्तमान लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- चूंकि यह संशोधन "संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व" से संबंधित **अनुच्छेद 368(2)(d)** के दायरे में शामिल है, **अतः साधारण बहुमत के माध्यम से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जानी आवश्यक है।**
 - **अनुच्छेद 368** संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है।

आंग्ल भारतीय कौन है?

- अनुच्छेद 366(2) के अनुसार, "आंग्ल-भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका पिता या पितृ-परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था, जो वहां साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं।"

VISION IAS

सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए**
 - **अनुच्छेद 330 और 332 में** अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए क्रमश: लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है।
 - इसके अतिरिक्त, सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने पर SC/ST के उम्मीदवारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **आंग्ल भारतीय के लिए:**
 - **प्रावधान**
 - ✓ **अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति** की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय से **दो से अनधिक सदस्य** नामनिर्देशित कर सकता है।
 - ✓ **अनुच्छेद 333** एक राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नामनिर्देशित करने हेतु समान अधिकार प्रदान करता है।
 - ✓ **संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार,** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय सदस्य अपने नामनिर्देशन के छह माह के भीतर किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। किन्तु सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् वे अपने दल के व्हिप (सचेतक) से बाध्य हो जाते हैं।
 - ✓ आंग्ल भारतीय सदस्य अन्य सांसदों के समान ही शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किन्तु ये राष्ट्रपति चुनाव में **मतदान करने हेतु पात्र नहीं हैं।**

1.1.2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण

(Reservation in Promotions for SC/ST.)

- केंद्र सरकार ने पदोन्नति में SC/ST को आरक्षण देने से संबंधित **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, 2018** में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग की है।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाले एक कानून **"कर्नाटक में आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों तक परिणामी वरिष्ठता का विस्तार (राज्य की सिविल सेवा में पदों के लिए) अधिनियम, 2018"** को मान्य ठहराया है।

संबंधित वाद, संवैधानिक प्रावधान और संशोधन

- **अनुच्छेद 15(4)** राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा SCs एवं STs की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान उपबंधित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 16(4B)** के अनुसार, यदि SCs एवं STs हेतु आरक्षित पदोन्नति वाले पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें उत्तरवर्ती वर्षों में भरा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि **इंदिरा साहनी वाद** के तहत निर्धारित 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा इन रिक्त पदों पर उत्तरवर्ती वर्षों में की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होंगी।
- **अनुच्छेद 335** वर्णित करता है कि "संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए SCs एवं STs के सदस्यों के दावों का **'प्रशासन की दक्षता बनाए रखने'** की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।
- **इंदिरा साहनी वाद (1992)** में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आरक्षण नीति को पदोन्नति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि, **77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4A अंत:स्थापित किया गया,** जो राज्य को SCs एवं STs के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधि निर्माण हेतु सक्षम बनाता है।
- 1990 के दशक में न्यायालय ने पदोन्नत होने पर अनारक्षित प्रत्याशियों की वरिष्ठता को पुनः उन SC/ST प्रत्याशियों के अनुरूप बहाल करने का प्रावधान कर दिया जिन्होंने अपने अनारक्षित समकक्षों की तुलना में शीघ्रता से पदोन्नति प्राप्त की हो।
- हालांकि, **85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा SCs/STs के उत्थान हेतु "परिणामी वरिष्ठता" के सिद्धांत** को पुनः लागू किया गया।

VISION IAS

पृष्ठभूमि एवं अन्य विवरण

- **एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद, 2006**
 - उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के विस्तार संबंधी राज्य के निर्णय को वैध ठहराया था, किंतु इसने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य द्वारा इस हेतु निम्नलिखित तीन मापदंडों के आधार पर प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए-
 - आरक्षण से लाभान्वित होने वाले वर्ग के **पिछड़ेपन संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े;**
 - उस पद/सेवा में जिसके लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना है, से सम्बद्ध **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े; और**
 - **दक्षता पर प्रभाव,** कि पदोन्नति में आरक्षण प्रशासनिक दक्षता में किस प्रकार वृद्धि करेगा।
- इसके उपरांत केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि **एम. नागराज वाद** में प्रदत्त निर्णय ने आरक्षण का लाभ प्रदान करने पर अनावश्यक शर्तें आरोपित की हैं।
- तत्पश्चात, **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद (2018)** में उच्चतम न्यायालय ने "अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने" की आवश्यकता के बिना सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी।
- हालांकि, इस वाद में न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि वह SC/ST के लिए क्रीमी लेयर मानदंड की शुरुआत करने की संभावना की जांच करे, क्योंकि यदि SC/ST के केवल कुछ वर्ग ही सभी प्रतिष्ठित नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे , तो शेष वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े ही बने रहेंगे।
- न्यायालय ने वर्ष 2006 के नागराज वाद में प्रदत्त निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की सरकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया।
- अब, केंद्र सरकार ने न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का आग्रह किया है।

क्रीमी लेयर

- **इंदिरा साहनी वाद (1992)** से इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। उच्चतम न्यायलय ने सरकार से क्रीमी लेयर मानदंड को परिभाषित करने के लिए **आय, संपत्ति या पद (स्टेटस)** का निर्धारण करने हेतु निर्देश दिया था।
- वर्तमान में, आरक्षण हेतु क्रीमी लेयर मानदंड **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** के लिए लागू है।
- वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारी आदि तथा साथ ही प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जन करने वाले व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं।

- **परिणामी वरिष्ठता** का अर्थ है - किसी वरिष्ठ पद पर परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पदोन्नत किया जाना न कि सामान्य नियमों के माध्यम से।
- उदाहरणस्वरूप, यदि एक विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 100 है, जिनमें से 30 पर अनारक्षित प्रत्याशी, 15 पर आरक्षित प्रत्याशी पदासीन हैं और 55 पद 'रिक्त' हैं। यदि आरक्षण 30% है, तो इसका अर्थ है कि 30 पद आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त होने चाहिए। ऐसे में यदि एक आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी एक सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कनिष्ठ है, किन्तु एक वरिष्ठ पद पर आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्ति जारी की गयी है, तो इस स्थिति में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को वरिष्ठ माना जाएगा और सामान्य श्रेणी के कर्मचारी की तुलना में पदोन्नत किया जाएगा।

1.1.3. दिव्यांगजनों (PWDS) के लिए पदोन्नति में आरक्षण

{Reservation in Promotion for Persons with Disabilities (PWDs)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि दिव्यांगजनों को **सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में 3% आरक्षण दिया जाना चाहिए।**

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार इंदिरा साहनी वाद में **आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया** गया था तथा **पदोन्नति में आरक्षण पर रोक** लगा दी गई थी, ये प्रावधान केवल पिछड़ा वर्ग (BC) से संबंधित थे न कि दिव्यांगजनों (PWDs) से।
- न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि 50% आरक्षण की सीमा अनुच्छेद 16(4) के तहत केवल पिछड़े वर्ग (BC) के पक्ष में लागू होती है, जबकि **दिव्यांगजनों (PWDS) के पक्ष में आरक्षण अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण** है।
- लंबवत आरक्षण (Vertical reservation) सामाजिक आरक्षण है, जो आरक्षित जातियों जैसे अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) इत्यादि को प्रदान किया गया है, जबकि क्षैतिज आरक्षण (Horizontal reservations), **'आरक्षण'** के अंतर्गत आरक्षण है, जैसे-महिलाओं, पूर्व कर्मचारियों इत्यादि को प्रदत्त आरक्षण।
- दिव्यांगजन (समान अवसर,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 दिव्यांगजनों हेतु लोक नियोजन में निर्दिष्ट पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

1.1.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

(Reservation for EWS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections: EWS) के लिए 10% आरक्षण को लागू किया जाए अथवा नहीं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण के विषय में

- सामान्य वर्ग के अंतर्गत EWS के लिए आरक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6)** को अंतःस्थापित किया गया।
- अनुच्छेद 15 में **EWS** की उन्नति के लिए **विशेष उपाय** करने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया गया है।
- EWS के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। इस प्रकार का आरक्षण **अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।**
- अंतःस्थापित किया गया नया **अनुच्छेद 16(6)** सरकार को **"EWS"** के नागरिकों के लिए **सभी सरकारी पदों को 10%** तक आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- EWS के लिए 10% तक का आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा (OBC) के लिए प्रदत्त 50% आरक्षण की मौजूदा आरक्षण सीमा (reservation cap) के अतिरिक्त होगा।
- राज्य सरकार की **आरक्षण नीति निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।**
- **राज्य सरकारें** राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु EWS हेतु **10% आरक्षण को लागू करने अथवा न करने हेतु निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।**

1.1.5. नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा मूल अधिकार नहीं

(Job Reservations, Promotion Quotas not a Fundamental Right)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) के अंतर्गत नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है।

उच्चतम न्यायालय का यह मानना है कि:

- संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) के तहत उपलब्ध प्रावधान सक्षमकारी प्रावधान (enabling provisions) हैं। इन अनुच्छेदों के तहत राज्य सरकारों में विवेकाधिकार की शक्ति निहित है कि वे परिस्थितियों की मांग के अनुरूप आरक्षण के लिए उपबंध कर सकते हैं।
 - **अनुच्छेद 16(4)** "राज्य को किसी भी पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करता है।"
 - **अनुच्छेद 16(4-A)** "राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करता है।"
- यह सुस्थापित विधि है कि राज्य को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि राज्य, पदोन्नति के मामलों में SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

1.1.6. अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक जनजातियों को शामिल करने के लिए विधेयक

(Bill to Include More Tribes in Scheduled Tribe Category)

सुर्खियों में क्यों

- हाल ही में, '**संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2019**' को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कर्नाटक में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्रदान करना है। इसके तहत शामिल किए गए समुदाय हैं: **परिवारा, तलवार और सिद्दी जनजाति (बेलगावी, धारवाड़)।**

संवैधानिक प्रावधान

- अनुसूचित जनजातियों को संविधान के **अनुच्छेद 366 के खंड (25)** में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "जनजाति या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है।"
- संविधान के **अनुच्छेद 342 के तहत**, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में उसके **राज्यपाल** से परामर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। इन आदेशों को **बाद में केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है।**
 - अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय के विनिर्देशन के लिए पालन किए जाने वाले मानदंडों में शामिल हैं: **आदिम विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपर्क से बचना और पिछड़ापन।**
 - ये **मानदंड संविधान में वर्णित नहीं हैं,** परन्तु भलीभांति स्थापित हो गए हैं।
 - यह वर्ष 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, 1955 की रिपोर्टों आदि में निहित विभिन्न परिभाषाओं को समाविष्ट करता है।
- इसमें यह प्रावधान भी किया गया है अनुसूचित जनजातियों की सूची को राज्य/संघ शासित प्रदेश के आधार पर तैयार किया जाए, न कि अखिल भारतीय आधार पर।

1.2. अधिकार

(Rights)

1.2.1. इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार

(Internet as Basic Right)

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं और लोगों की आवागमन पर आरोपित प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय दिया

VISION IAS

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन

इंटरनेट शटडाउन (प्रतिबंध) पर:

- इंटरनेट के माध्यम से वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है।
- इंटरनेट पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(2) के तहत शामिल आनुपातिकता के सिद्धांतों (principles of proportionality) के अनुरूप होने चाहिए।
- यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से यह वर्णित करता है कि दंड को अपराध या उसकी प्रकृति के सापेक्ष असंगत (disproportionate) नहीं होना चाहिए तथा किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की सीमा अनिवार्यतः इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए।
- इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है।
- अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट का निलंबन अनुज्ञेय नहीं है।

CrPC की धारा 144 पर:

- धारा 144 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग किसी भी विचार या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नहीं किया जा सकता है।
- जब धारा 144 को किसी भी आशंकित खतरे के संदर्भ में आरोपित किया जाता है, तो वह खतरा "आपात" (emergency) होना चाहिए।
- धारा 144 के आरोपण की स्थिति में अनिवार्यतः व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग अनिवार्यतः युक्तियुक्त और प्रमाणिक रीति से किया जाना चाहिए।

CrPC की धारा 144

- **इसके तहत शक्तियां:**
 - यह औपनिवेशिक युग का एक कानून है, जो जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस (उपद्रव) या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों के निवारण अथवा कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - इसके तहत सामान्यतः आवाजाही, हथियार रखने और गैर-कानूनी रूप से संघ बनाने पर प्रतिबंध शामिल हैं। प्रायः यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत पाँच या अधिक लोगों के एकसाथ इक्ठ्ठा होने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन, इसका उपयोग किसी **एक व्यक्ति (अर्थात् किसी विशिष्ट व्यक्ति)** को भी प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है।
- **आदेश की अवधि:** धारा 144 के अधीन कोई आदेश, उस आदेश के जारी होने की तिथि से **दो माह** से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा इसे अतिरिक्त अवधि तक प्रवृत्त रखने के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है। फिर भी, यह अवधि **छह माह से अधिक नहीं** हो सकती है।

दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 (निलंबन नियम)

- इन नियमों का निर्माण **संचार मंत्रालय** द्वारा किया गया है और **भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (2)** द्वारा इन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस धारा में "भारत की प्रभुता और अखंडता" के हित में संदेशों को अंतर्रुद्ध या निरुद्ध करने के प्रावधान हैं।
- यह सरकार को लोक आपात या लोक सुरक्षा के हित में देश के किसी भी हिस्से में संदेशों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश, केवल **निश्चित अवधि** के लिए ही जारी रह सकता है, **न कि अनिश्चित अवधि तक।**

VISION IAS

अधिकार के रूप में इंटरनेट के संबंध में दिए गए अन्य निर्णय

फहीमा शिरिन बनाम केरल राज्य वाद में, केरल उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का भाग बनाते हुए इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया।

1.2.2. संपत्ति का अधिकार

(Right to Property)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता की भूमि को वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया था।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना वंचित करना मानवाधिकार का उल्लंघन माना जायेगा।
 - **अनुच्छेद 300A, (संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान)** के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया तथा प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
 - **इसे वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।**
- राज्य को अपने नागरिकों की भूमि को **प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत (doctrine of adverse possession)** के तहत अधिग्रहित करने की **अनुमति नहीं दी जा सकती है।**
 - राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह **प्रतिकूल कब्जे के 42 वर्षों तक पूर्ण अधिकार था।**
 - **प्रतिकूल कब्जे** के सिद्धांत के तहत कोई व्यक्ति जो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, इस तथ्य के कारण किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है कि कम से कम **12 वर्षों** तक संपत्ति पर उसका अधिकार रहा है तथा उसके वास्तविक स्वामित्वधारक ने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है।

1.2.3. राजद्रोह

(Sedition)

सुर्खियों में क्यों?

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आधार पर बेंगलुरु और कश्मीर में हुई हालिया गिरफ्तारियों ने **भारत के राजद्रोह कानून पर बहस** को पुनः तेज़ कर दिया है।

भारत में राजद्रोह कानून के बारे में

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A** के अनुसार, राजद्रोह को किसी ऐसी कार्रवाई जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करती हो अथवा उत्पन्न करने का प्रयास करती हो, के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **धारा 124 A** का मसौदा **थॉमस बैबिंगटन मैकाले** द्वारा तैयार किया गया तथा वर्ष 1870 में IPC में शामिल किया गया था।
- धारा 124 A के तहत दंड **गैर-जमानती अपराध** है।
- इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति **सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।** ऐसे व्यक्तियों को अपने पासपोर्ट के बिना रहना होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है।
- **प्रसिद्ध राजद्रोह मुकदमे: वर्ष 1891 में जोगेंद्र चंद्र बोस पर चलाया गया मुकदमा,** वर्ष 1922 में बाल गंगाधर तिलक पर चलाए गए तीन राजद्रोह मुकदमे तथा महात्मा गांधी पर यंग इंडिया में प्रकाशित उनके लेखों के लिए चलाया गया मुकदमा कुछ प्रसिद्ध राजद्रोह मुकदमे हैं।

VISION IAS

राजद्रोह अधिनियम के लिए आवश्यक तत्व: रोमेश थापा वाद, केदार नाथ सिंह वाद, कन्हैया कुमार वाद जैसे विभिन्न वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार एक राजद्रोही कृत्य को पुनः परिभाषित किया गया तथा उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया गया:

- लोक व्यवस्था का विघटन,
- कानून का उल्लंघन कर विधिपूर्वक स्थापित सरकार के पतन का प्रयास करना,
- राज्य या जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा पहुँचाना

1.2.4. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

(Minority Educational Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य, राष्ट्र हित में अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions: NCMEI)

NCMEI, एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जो संपूर्ण भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रमाणन को विनियमित करता है।

- इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और इसके तीन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस तरह के मामलों में इसे आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त हैं, जैसा कि **जोसेफ ऑफ़ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाद** में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।
- आयोग को अधिनिर्णय और परामर्शी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विश्वविद्यालय के रूप में प्रमाणन संबंधी विवादों का निर्णय करता है।
- इसे स्वत: संज्ञान के आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों से उन्हें वंचित करने या उनके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद के संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति और विशेषता को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के उपायों को निर्दिष्ट करता है।
- यह अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जे को भी निरस्त कर सकता है।

भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों (Linguistic minority institutions: LMIs) से संबंधित मुद्दे

- संविधान के **अनुच्छेद 350 (B)** के तहत स्थापित "राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग" (NCLM) के पास NCMEI की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं।
- यह केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुरक्षोपायों की समीक्षा कर सकता है और अपने निष्कर्षों के आधार पर संसद को सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अल्पसंख्यक संस्थानों के विनियमन के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि "अल्पसंख्यक संस्थानों के हित को प्रभावित किए बिना यदि ऐसे कदम का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों में उत्कृष्टता (शिक्षकों की नियुक्ति के मामले सहित) सुनिश्चित करना है, तो यह अनुमत है"।
- न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय देने के क्रम में **टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद** को भी संदर्भ के तौर पर प्रस्तुत किया।
- इस वाद में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि **अनुच्छेद 30 (1)** के तहत मूल अधिकार "न तो निरपेक्ष हैं और न ही विधि से ऊपर हैं"।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (Minority Educational Institutions: MEIs)

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions: NCMEI) अधिनियम, MEI को ऐसे कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हैं।

VISION IAS

- भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित **नहीं** किया गया है। ज्ञातव्य है कि NCMEI अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय को 'अल्पसंख्यक' के तौर पर परिभाषित किया गया है।
- भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, भारत में कुल 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं - **मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी** और **जैन।**
- केंद्र सरकार द्वारा आज तक किसी भी **भाषाई अल्पसंख्यक को अधिसूचित नहीं** किया गया है। इस प्रकार, भाषाई अल्पसंख्यक NCMEI के दायरे से बाहर हैं।
- **पात्रता मापदंड:**
 - शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए।
 - यदि इसका संचालन किसी ट्रस्ट/पंजीकृत सोसायटी द्वारा किया जाता है, तो इसके अधिकांश सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए।
 - इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होनी चाहिए।
- ऐसे संस्थानों के मान्यता और प्रमाणन के संबंध में कुछ राज्यों ने स्वयं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- एक बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिए जाने के पश्चात्, आवधिक रूप से इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEIs) को प्राप्त अधिकार

- प्रतिनिधियों पर नियंत्रण के संबंध में, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों की तुलना में अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं।
- MEIs संविधान के **अनुच्छेद 15** के तहत आरक्षण नीति के दायरे से बाहर होते हैं।
- छात्र के प्रवेश के मामले में, MEI में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण के प्रावधान किए जा सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 की धारा 12 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से 25% के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान MEI पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, SC ने यह निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर संचालित सभी विद्यालयों को RTE अधिनियम के तहत निर्धन बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित कर उन्हें मुफ्त प्रवेश देना होगा।
- ये संस्थान अपनी **पृथक शुल्क संरचना रख** सकते हैं, लेकिन इन्हें कैपिटेशन शुल्क प्रभारित करने की अनुमति नहीं है।

राज्य-स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग

- भारत के संविधान में **अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। केंद्र, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- हाल ही में, **उच्चतम न्यायालय** ने यह निर्णय दिया है कि **धार्मिक वर्गीकरण** राज्य-वार आधार पर न करके **अखिल भारतीय आधार** पर किया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का **अनुच्छेद 30**, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकारों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 30 (1)** के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- **अनुच्छेद 30 (2)** शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के अधीन है।

VISION IAS

1.2.5. सबरीमाला मंदिर मामला

(Sabarimala Temple Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **"सबरीमाला निर्णय" (2018)** के पुनर्विलोकन पर अपना निर्णय, सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता** जैसे व्यापक मुद्दों की जांच किए जाने तक, स्थगित कर दिया है।

संवैधानिक नैतिकता/सदाचार (Constitutional Morality)

- 'नैतिकता' या 'संवैधानिक नैतिकता (सदाचार)' शब्द को संविधान में **परिभाषित नहीं** किया गया है।
- वर्ष 2018 के सबरीमाला निर्णय में न्यायालय द्वारा बहुमत से **अनुच्छेद 25** में वर्णित **'सदाचार'** (morality) को संवैधानिक नैतिकता के रूप में परिभाषित किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, "मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में **'सदाचार'** शब्द का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से **संवैधानिक नैतिकता** होता है और न्यायालय द्वारा अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण, संवैधानिक समानता की अवधारणा के सिद्धांतों एवं बुनियादी नियमों के अनुरूप होना चाहिए।"

संबंधित तथ्य

- **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य वाद (2018)** में, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 4:1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक निर्णय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर आरोपित दशकों पुराने प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था।
 - इस निर्णय में टिप्पणी की गई कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, **अस्पृश्यता का समर्थन करने जैसा है और इस प्रकार यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है।**
 - उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर की गई थी।
 - भविष्य में, मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा संप्रदाय में प्रचलित फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (खतना प्रथा) से संबंधित धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच द्वारा निर्णय किया जाएगा।

अनिवार्यता का सिद्धांत: "अनिवार्यता" का सिद्धांत वर्ष 1954 में **'शिरुर मठ'** मामले में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने निर्णय दिया था कि "धर्म" शब्द में एक धर्म के लिए "अनिवार्य" सभी "संस्कार और प्रथाएं" शामिल होंगी और एक धर्म के लिए अनिवार्य तथा गैर-अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय का होगा।

संबंधित तथ्य: अनुच्छेद 25 के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया कि धार्मिक त्योहारों या समारोहों के लिए सड़कों एवं फुटपाथों पर अस्थायी ढांचे स्थापित करने की **अनुमति प्रदान करने से इनकार करने पर** अनुच्छेद-25 (अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता) के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।

1.3 राष्ट्रपति

(President)

1.3.1.अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग

(Impeachment of US President)

सुर्ख़ियों मे क्यों?

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। किन्तु सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, इस कारण उन्हें पद से हटाया नहीं गया।

VISION IAS

भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61)	अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
• भारतीय राष्ट्रपति को **"संविधान के अतिक्रमण"** के लिए पद से हटाया जा सकता है, जिसका अर्थ संविधान में परिभाषित नहीं है।	• अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान के तहत, **"देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार"** के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
• महाभियोग के प्रस्ताव को **संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित** किया जा सकता है।	• **महाभियोग की कार्यवाही** केवल **हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निम्न सदन) में आरंभ** की जा सकता है।
• इन आरोपों पर सदन (जिस सदन ने आरोप लगाए) के **एक-चौथाई सदस्यों द्वारा** हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए।	• एक बार जब प्रस्ताव **साधारण बहुमत से पारित** हो जाता है, तो प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है।
• महाभियोग प्रस्ताव को **उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित** होने के पश्चात्, उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जाँच करनी होती है।	• तत्पश्चात, **सीनेट (उच्च सदन) न्यायालय के रूप में कार्य** करती है जहाँ दोनों पार्टी अपना पक्ष (साक्ष्य) प्रस्तुत करते हैं।
• यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को **कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित** करता है, तो **राष्ट्रपति को** प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके **पद से हटना** होगा।	• इस सुनवाई के पश्चात् यदि **सीनेट** इन आरोपों की पुष्टि करने के साथ-साथ **महाभियोग प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।**

1.3.2. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

(Pardoning Power of President)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति द्वारा निर्भया मामले के दोषियों की दया याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है।

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होगी।
 - **क्षमा (Pardon) -** सभी दंडों एवं दंडादेशों से पूर्णतः विमुक्ति।
 - **लघुकरण (Commutation) -** दंड की प्रकृति को अपेक्षाकृत कम गंभीर दंड में परिवर्तित करना।
 - **प्रविलंबन (Reprieve) -** मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन।
 - **विराम (Respite)-** दिए गए दंड को किन्ही विशेष परिस्थितियों में कम करना जैसे - महिलाओं की गर्भावस्था के कारण इत्यादि।
 - **परिहार (Remit)-** दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना।
- **राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है-**
 - **सैन्य न्यायालय** द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के सभी मामलों में।
 - उन सभी मामलों में, जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक **संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है**।
 - उन सभी मामलों में जिनमे दंडादेश, **मृत्युदंड** के रूप में है।
- ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति का **प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर** किया जाता है।

VISION IAS

1.4. भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची

(9th Schedule of Indian Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **आरक्षण के प्रावधान** को संविधान की **9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग** की गई थी।

9वीं अनुसूची के बारे में

- संविधान की 9वीं अनुसूची में **केंद्रीय और राज्य क़ानूनों की एक सूची समाविष्ट है, जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।**
 - 9वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट किए गए किसी भी अधिनियम को न्यायपालिका के किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो।
 - इसे **वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अंत:स्थापित किया गया था।** इसे नए अनुच्छेद 31B द्वारा सृजित किया गया, जो 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था।
- **आई.आर.कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद में,** उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, जिसका अर्थ है कि ऐसे कानूनों को पूर्णत: संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- हालांकि, **उच्चतम न्यायालय ने नौवीं अनुसूची में शामिल कानून की वैधता की जांच करने के लिए दोहरे परीक्षण का निर्धारण किया है,** जैसे कि- क्या यह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और यदि हाँ तो क्या यह उल्लंघन मूल ढांचे को भी क्षति पहुंचाता है या उसे नष्ट करता है।
 - यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो केवल तभी नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

1.5. प्रवासी भारतीय नागरिक

(Overseas Citizen of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizen of India: OCI) कार्डधारक संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते।

प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizen of India: OCI) योजना के विषय में-

- OCI योजना का आरंभ **अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** द्वारा किया गया था।
- एक विदेशी नागरिक, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था अथवा 26 जनवरी 1950 के पश्चात् या कभी भी भारत का नागरिक था, अथवा 15.08.1947 के पश्चात् भारत द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र का निवासी था, वह OCI पंजीकरण के लिए पात्र है।
 - ऐसे व्यक्ति की **अवयस्क संतानें** भी OCI पंजीकरण हेतु पात्र हैं।
- हालांकि, यदि आवेदक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा था, तो वह OCI के लिए पात्र नहीं होगा।
- OCI कार्डधारकों को **मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं** कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें **नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत वैधानिक अधिकार प्रदान** किए गए हैं। इसलिए, उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे केंद्र सरकार की नीति पर निर्भर हैं।
- एक पंजीकृत OCI को भारत आगमन हेतु **बहु प्रवेशीय, बहुउद्देशीय व आजीवन वीज़ा प्रदान** किया जाता है।
- OCI कार्डधारक व्यक्ति कृषि और बागान संपत्तियों के अर्जन से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय ओर शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध समस्त सुविधाओं के संबंध में **अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians: NRIs) के समान सामान्य समता का हक़दार** होता है।

VISION IAS

- एक पंजीकृत OCI कार्डधारक व्यक्ति को भारत में आगमन पर किसी भी अवधि तक रहने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (Foreign Regional Registration Officer) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (Foreign Registration Officer) के समक्ष पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है।

1.6. संयुक्त राष्ट्र संघ एक "राज्य" नहीं है

(UN not a State)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारत के संविधान के **अनुच्छेद 12** की व्याख्या के तहत **संयुक्त राष्ट्र संघ एक "राज्य" नहीं है** तथा वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, **'राज्य'** शब्द **संघ व राज्य सरकारों,** संसद और राज्य विधानमंडलों तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरणों को समाविष्ट करता है।
- सरकार ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह एक विदेशी राज्य नहीं है।
 - **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86** में यह प्रावधान किया किया गया है कि केंद्र सरकार की सहमति से किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है।
- हालांकि, सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र तथा उसके अधिकारियों को **संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947** के तहत उन्मुक्ति का अधिकार प्राप्त है।
 - उक्त अधिनियम के अनुसार, UNO को प्रत्येक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से तब तक उन्मुक्ति प्राप्त है, जब तक कि किसी विशिष्ट मामले में इसने अपनी उन्मुक्ति का स्पष्ट रूप से त्याग नहीं कर दिया है।

1.7. सुर्ख़ियों में रहे अन्य संवैधानिक अनुच्छेद

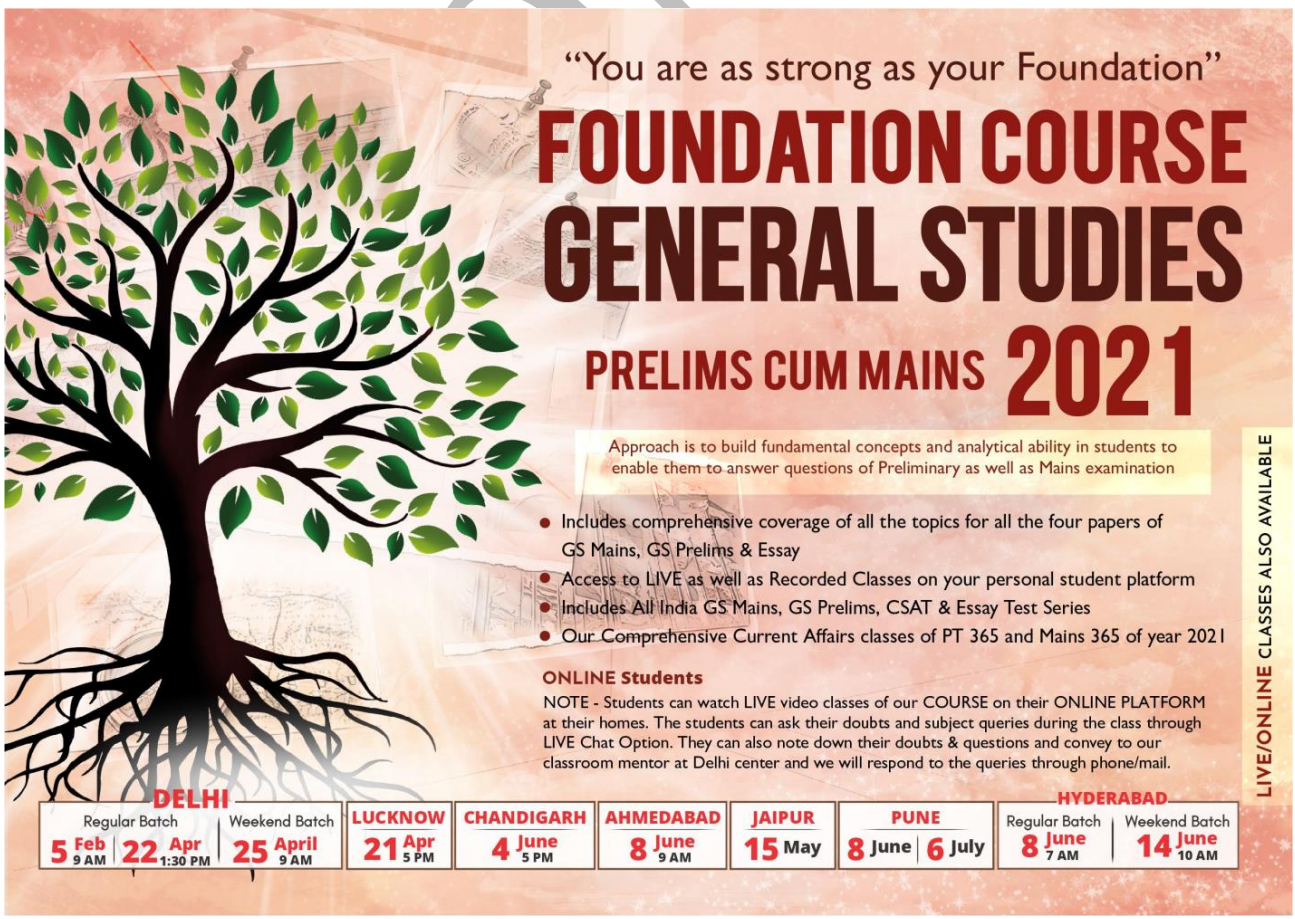
(Other Constitutional Articles in News)

अनुच्छेद	व्याख्या
अनुच्छेद 87	• **राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण-** (1) राष्ट्रपति, **(लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में)** एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। (2) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा।
अनुच्छेद 164(3)	• किसी मंत्री द्वारा अपना पदग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार **पद और गोपनीयता की शपथ** दिलाएगा। • संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। • अनुसूची के अनुसार शपथकर्ता **-ईश्वर के नाम पर, या सत्यनिष्ठा के आधार** पर शपथ लेते हैं।

VISION IAS

अनुच्छेद 340	• यह **राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार** प्रदान करता है। • इसके अंतर्गत, 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के **उप-वर्गीकरण** की निगरानी हेतु **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी** की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था।
अनुच्छेद 371 से 371(J)	• यह **भारतीय संविधान का 21वां भाग** है तथा यह देश के कुछ राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष प्रावधानों का उपबंध करता है। • जबकि अनुच्छेद 371 संविधान के आरंभ होने के समय इसका हिस्सा था; तथा अनुच्छेद 371(A) से 371(J) को बाद में अंतःस्थापित किया गया है। • अनुच्छेद 371 गुजरात तथा महाराष्ट्र, 371A- नागालैंड, 371B असम, 371C-मणिपुर, 371D&E- आन्ध्र प्रदेश, 371F-सिक्किम, 371G-मिजोरम, 371H-अरुणाचल प्रदेश, 371I-गोवा, 371J-कर्नाटक से संबंधित है।

Understand or Download Clean watermark free Material for UPSC IAS Exam: iasrank.com
Download Clean watermark Free study material
Telegram https://t.me/iasrankofficials



2. संसद/राज्य विधायिका/ स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति

(Functioning of Parliament/State Legislature/Local Government)

2.1. विधायिका

(Legislature)

2.1.1. संसदीय समितियाँ

(Parliamentary Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के विगत सत्र में, सभी विधेयकों को संसदीय स्थायी समितियों की संवीक्षा के बिना ही पारित कर दिया गया था।

संसदीय समितियों के बारे में

- संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: :
- **स्थायी समितियाँ**: प्रकृति में स्थायी; प्रत्येक वर्ष सृजित; सतत रूप से काम करती हैं।
- **तदर्थ समितियाँ**: प्रकृति में अस्थायी; सौंपे गए कार्य के समाप्त हो जाने के बाद कार्य करना बंद कर देती हैं।
- संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है, **लेकिन उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है।** इन सभी मामलों का निर्धारण दोनों सदनों के नियमों द्वारा किया जाता है।
- **ये**
 - **विस्तृत संवीक्षा और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखती हैं।**
 - **गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती हैं।**
 - कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने में अधिक भूमिका निभाने में **विपक्ष की सहायता करती हैं।**
 - **संबंधित हितधारकों से संलग्नता बनाए रखती हैं।**
 - **वित्तीय विवेक (Financial Prudence) बनाए रखती हैं।**

2.1.2. आचार समिति

(Ethics Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आचार समिति द्वारा लोकसभा सदस्यों हेतु एक आचार संहिता निर्मित करने का निर्णय लिया गया।

आचार समिति के बारे में

- इस समिति की स्थापना राज्य सभा में 1997 तथा लोक सभा में 2000 में की गई थी। यह समिति सांसदों हेतु आचार संहिता को प्रवर्तित करती है। यह दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करती है और उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। यह किसी प्रकरण में स्वतः-संज्ञान लेते हुए भी **जांच-पड़ताल** भी कर सकती है।
- इस समिति में लोक सभा के 15 तथा राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं।
- राज्य सभा सदस्यों के लिए आचार संहिता वर्ष 2005 में निर्मित की गई थी।

2.1.3. विशेषाधिकारों का उल्लंघन

(Breach of Privilege)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे के संबंध में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

VISION IAS

विशेषाधिकारों के प्रकार

सामूहिक विशेषाधिकार

- सदन की कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करना। विधायिका की गुप्त बैठक आयोजित करना।
- प्रेस को संसदीय कार्यवाही की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यह गुप्त बैठकों के मामले में उपलब्ध नहीं है।
- केवल संसद ही अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है।
- सदन की कार्यवाही (भाषण, मतदान इत्यादि) की जांच करने से न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है।

व्यक्तिगत

- सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात् तक गिरफ्तारी से सुरक्षा। यह सुरक्षा केवल सिविल मामलों में उपलब्ध है,आपराधिक मामलों में नहीं।
- संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति।
- सदन के सत्र में होने के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थिति से उन्मुक्ति।

संसदीय विशेषाधिकार के बारे में

- **वर्तमान में ऐसा कोई कानून प्रचलित नहीं है जो भारत में विधि-निर्माताओं के सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता हो।**
- **वस्तुतः विशेषाधिकार पांच स्रोतों पर आधारित हैं:**

 (i) संवैधानिक प्रावधान (ii) संसद के विभिन्न कानून (iii) दोनों सदनों के नियम (iv) संसदीय परम्पराएं (v) न्यायिक व्याख्याएं
- संविधान द्वारा विधायी संस्थानों और उनके सदस्यों हेतु (**अनुच्छेद 105 के तहत,** संसद, इसके सदस्यों और समितियों के लिए / **अनुच्छेद 194 के तहत** राज्य विधानमंडल, इसके सदस्यों और समितियों के लिए) कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इनके उद्देश्य हैं:
 - सदन में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और सदनों में किए गए व्यवहार के संबंध में न्यायिक मुकदमेबाजी से सुरक्षा।
 - भाषण, मुद्रण या प्रकाशन के माध्यम से किसी भी अपमान के विरुद्ध रक्षा।
 - यह सुनिश्चित करना कि उनका कार्य संचालन अनावश्यक प्रभाव, दबाव या जबरदस्ती के बिना हो।
 - संसद की संप्रभुता को सुनिश्चित करना।
- **विशेषाधिकार प्रस्ताव** किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत या विकृत तथ्य प्रदान कर सदन अथवा उसके एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है।

विशेषाधिकार समिति

- संसद / राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में विशेषाधिकार संबंधी स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है।
- लोकसभा और राज्यसभा की विशेषाधिकार संबंधी स्थायी समिति में क्रमशः 15 और 10 सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
- इसका कार्य विशेषाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना और अध्यक्ष/सभापति को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है।

2.1.4. दल-परिवर्तन विरोधी कानून

(Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के 17 बागी विधायकों को निरर्ह घोषित करने के वहाँ के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के निर्णय को मान्य ठहराया, लेकिन न्यायालय ने बागी विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी।

VISION IAS

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद को संविधान संशोधन करने के लिए कहा गया ताकि विधानसभा अध्यक्षों द्वारा अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने का निर्णय लेने की अनन्य शक्ति को समाप्त किया जा सके।

दल परिवर्तन विरोधी कानून

- **दसवीं अनुसूची** संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी।
- यह विधायिका के **पीठासीन अधिकारी** द्वारा विधायकों को **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह घोषित करने हेतु प्रक्रिया** को उपबंधित करती है।
 - अध्यक्ष के पास न तो एक व्यक्ति की निरर्हता की अवधि तय करने (जिसके लिए उसे निरर्ह घोषित किया गया है) और न ही उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की शक्ति है।
- इस कानून के अनुसार, संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदस्य को निरर्हित किया जा सकता है, यदि:
 - **वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग करता है;**
 - **सदन में मतदान के दौरान राजनीतिक दल के नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करता है** {अपने दल के व्हिप (सचेतक) के आदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है;}
 - यह उन स्वतंत्र सदस्यों अथवा मनोनीत सदस्यों, जो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, पर भी लागू होता है।
- यह कानून **संसद और राज्य विधान-मंडल** दोनों पर लागू होता है।
- कानून के तहत अपवाद: विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता के जोखिम के बिना अपना दल परिवर्तन कर सकते हैं।
 - यह कानून किसी दल को किसी अन्य दल के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान करता है बशर्ते कि कम से कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों।
 - यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और पद से मुक्ति उपरांत पुनः दल से जुड़ सकता है

संबंधित जानकारी: उच्चतम न्यायालय द्वारा दलबदल विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या

• **क्या पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है?**	• इस कानून में आरम्भ में यह प्रावधान था कि पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है। वर्ष 1992 में **किहोतो होलोहान वाद** में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अध्यक्ष, अयोग्य घोषित करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, अधिकरण की तरह कार्य करता है और इसलिए, आदेश की वैधता **न्यायिक समीक्षा** के अधीन है
• **विनिश्चय हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए समय सीमा:**	• यह कानून निरर्हता संबंधी एक याचिका पर निर्णय लेने हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समयावधि निर्दिष्ट नहीं करता है। **उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता याचिका पर चार सप्ताह में निर्णय देने को कहा।**

2.1.5. राज्य विधान परिषद्

(Legislative Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आन्ध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद् (Legislative Council) के उत्सादन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है।

विधान परिषद (LC) - विधान परिषद् के उत्सादन या सृजन की प्रक्रिया

- संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के अनुसार, यदि संबंधित राज्य की विधान सभा विधान परिषद् के उत्सादन या सृजन में संकल्प पारित करे तो संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद का उत्सादन (जहां यह पहले से विद्यमान है) अथवा इसका सृजन (जहां इसका अस्तित्व नहीं है) कर सकती है।

VISION IAS

- इस प्रकार के विशिष्ट संकल्प को **राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत अर्थात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।**
- **संसदीय विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 168 (1) (a) में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें दो सदन वाले राज्यों के नाम शामिल हैं।**
- संसद की यह विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी और इसे एक सामान्य विधान (अर्थात साधारण बहुमत द्वारा) के रूप में पारित किया जाएगा।
- **विधान परिषद् वाले राज्य:** वर्तमान में 6 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषदें विद्यमान हैं।

राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद् की शक्तियां:

- वित्तीय मुद्दों एवं सरकार पर नियंत्रण संबंधी कुछ मामलों को छोड़कर राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्तियां प्रदान की गयी हैं। जबकि दूसरी ओर, **विधान परिषद् सभी मामलों में विधानसभा की अधीनस्थ है।** इस प्रकार विधानसभा का विधान परिषद पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित है।
 - किसी सामान्य विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा में विद्यमान है। परिषद अधिकतम चार माह की अवधि के लिए विधेयक को रोक अथवा विलंबित कर सकती है। पहली बार में विधेयक को तीन माह और दूसरी बार में विधेयक को एक माह के लिए रोका जा सकता है। अन्य शब्दों में, परिषद **राज्य सभा की तरह पुनरीक्षण निकाय नहीं है**; अपितु यह केवल एक विलंबनकारी सदन अथवा एक परामर्शदात्री निकाय है।
 - यदि कोई सामान्य विधेयक, जिसकी उत्पत्ति विधान परिषद में हुई हो तथा उसे विधानसभा में पारित होने के लिए भेजा गया हो, विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है।
 - संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती है। इस मामले में भी विधानसभा ही अभिभावी रहती है।

2.1.6. विपक्ष का नेता

(Leader of Opposition)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही के लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष के नेता के पद की योग्यता के लिए आवश्यक, सदन के कुल सदस्यों का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाया|

विपक्ष के नेता से संबंधित तथ्य

- विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है, जिसे सदन में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 से शक्ति प्राप्त होती है।
- इस अधिनियम में विपक्ष में सबसे अधिक संख्या वाले दल के उस नेता को उस सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई हो।
- हालांकि, विपक्ष के नेता को मान्यता देते समय अध्यक्ष को 1956 में जारी लोकसभा अध्यक्ष के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- निर्देशों के अनुसार, यदि सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सदस्यों की संख्या सदन की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/10 के बराबर नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष उक्त पार्टी के किसी सदस्य को विपक्ष के नेता का दर्ज़ा देने के लिए बाध्य नहीं है।
- विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और वह उन पैनलों का सदस्य होता है जो CVC, CBI के निदेशक, लोकपाल जैसे वैधानिक और संवैधानिक पदों के सदस्यों की नियुक्त करते हैं।

VISION IAS

2.1.7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(Private Member's Bills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राज्यसभा में एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित किया गया जो उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा को हटाने और राज्य वित्त पोषण का प्रस्ताव करता है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के बारे में

- **गैर-सरकारी सदस्य:** कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, उसे गैर-सरकारी सदस्य कहा जाता है।
- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक की स्वीकार्यता पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है।
- ऐसे विधेयक के पुरःस्थापन हेतु उसे सूचीबद्ध किए जाने के लिए सदस्य द्वारा कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- प्रत्येक सत्र में अधिकतम तीन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- जहाँ सरकारी विधेयकों को किसी भी दिन प्रस्तुत किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती हैं, वहीं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पुरःस्थापित किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है।
- गैर-सरकारी सदस्यों के किसी विधेयक {उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार) विधेयक, 1968} को अंतिम बार दोनों सदनों द्वारा वर्ष 1970 में पारित किया गया था।
- अब तक गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित कुल चौदह विधेयक (जिनमें से पांच राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए थे) पारित किए जा चुके हैं।
- गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किए जा सकते हैं, परंतु धन विधेयक नहीं।

संबंधित जानकारी: चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा

- भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवारों के लिए 70 लाख रुपये की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की। सभी उम्मीदवारों के लिए खर्चों के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य किया गया था। खर्चों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना था।
- गलत खाता सूचना अथवा अधिकतम सीमा (सीलिंग) से अधिक खर्च के लिए **तीन वर्ष तक के लिए निरर्हता का प्रावधान** भी किया गया है।

हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार खर्च पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है।

2.1.8. विधेयकों का व्यपगत होना

(Lapsing of Bills)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने उस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया जो लोकसभा में समय की बर्बादी करने वाले विधेयक के व्यपगत को स्वचालित बनाता है।

व्यपगत विधेयकों के लिए प्रावधान

अनुछेद 107 विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किये जाने के संबंध में उपबंध करता है।

उपर्युक्त अनुछेद के अनुसार लोक सभा के विघटन पर विधेयकों का व्यपगत होना:

- लोकसभा में प्रारंभ और विचारणीय विधेयक व्यपगत हो जाएगा।
- राज्यसभा द्वारा प्रारंभ और पारित विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन हैं, व्यपगत हो जाएगा।
- लोकसभा द्वारा प्रारंभ और पारित विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हैं, व्यपगत हो जाएगा।
- राज्यसभा द्वारा प्रारंभ कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा संशोधन सहित लौटा दिया गया हो और वह राज्यसभा में विचाराधीन हो, व्यपगत हो जाएगा।

VISION IAS

विधेयक व्यपगत न होने वाली परिस्थितियाँ :

- राज्यसभा में विचाराधीन कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित न हो, व्यपगत नहीं होता।
- राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन होने के पूर्व किसी विधेयक हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान किया गया हो, तो वह व्यपगत नहीं होता।
- दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, व्यपगत नहीं होता।
- दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जिसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, व्यपगत नहीं होता।

2.1.9. लाभ का पद

(Office of Profit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विधानसभा के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

लाभ का पद क्या है?

- **अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a)** में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में।
- परंतु इसे **न तो संविधान में और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।**
- ***प्रद्युत बारदोलाई बनाम स्वप्न रॉय वाद* (2001) में उच्चतम न्यायालय ने** लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया:
 - क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है;
 - क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है;
 - क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है;
 - पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या हैं एवं क्या वह ये कार्य सरकार के लिए कर रहा है; तथा
 - क्या किए जा रहे इन कार्यों के निष्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है।
- कालांतर में, ***जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद*** में उच्चतम न्यायालय ने इसे अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया- "ऐसा पद जो किसी लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ को प्रदान करने में सक्षम हो।" इस प्रकार "लाभ के पद" वाले मामले में लाभ का वास्तव में 'प्राप्त होना' नहीं अपितु लाभ 'प्राप्ति की संभावना' एक निर्णायक कारक है।

2.2. मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन

(Cabinet Committees Reconstituted)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **दो नई समितियों** (निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति) के गठन सहित आठ प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees)

- ये **संविधानेत्तर** निकाय हैं, जिनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान **भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961** में उपबंधित किए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री द्वारा** इन्हें समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं।
- **वर्गीकरण:** ये दो प्रकार की होती हैं: **स्थायी** और **तदर्थ।** स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की जबकि तदर्थ समिति अस्थायी प्रकृति की होती हैं।

VISION IAS

- **प्रकार्य:** ये मंत्रिमंडल के **अत्यधिक कार्यभार को कम करने हेतु एक प्रकार के संगठनात्मक उपकरण** हैं। ये समितियां **नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा** और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं।
- मंत्रिमंडल इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की **समीक्षा** कर सकता है।
- **संरचना:** सामान्यतः इनमें **केवल कैबिनेट मंत्री** शामिल होते हैं। हालांकि, **कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को भी इनका सदस्य बनाया जा सकता है**। इनमें न केवल संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। इनके सदस्यों की संख्या **तीन से लेकर आठ** तक हो सकती है।
- **समितियों के प्रमुख:** अधिकांश समितियों का अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होता है। कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री भी अध्यक्ष के रुप में कार्य करते हैं। किन्तु, यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य होता है, तो उसके द्वारा ही उस समिति की अध्यक्षता की जाती है।

अन्य संबंधित जानकारी

- पुनर्गठित समितियां निम्नलिखित हैं:
 - **नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (ACC):** इसके द्वारा केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम, बैंक, तीनों सेवाओं के प्रमुखों आदि से संबंधित सभी उच्च-स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्रति-नियुक्त (Central deputation) होने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में भी निर्णय किया जाता है।
 - **आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA):** इसके द्वारा एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति विकसित करने हेतु आर्थिक प्रवृतियों, समस्याओं तथा संभावनाओं की समीक्षा की जाती है।
 - ✓ यह कृषि उपज की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का भी निर्धारण करती है।
 - ✓ यह औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों तथा ग्रामीण विकास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करती है।
 - ✓ यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर भी विचार करती है।
- **संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति:** यह संसदीय सत्रों के लिए समय-सारणी (schedule) तैयार करती है और संसद में सरकारी कार्यों की प्रगति की निगरानी भी करती है।
 - यह **गैर-सरकारी कार्यों की संवीक्षा** करती है तथा यह भी निर्धारित करती है कि किन सरकारी विधेयकों और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना है।
- **राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति:** इसके द्वारा घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।
- **सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति:** इसके द्वारा **कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा निहितार्थों** से संबंधित विदेशी मामलों पर नीतिगत कार्यवाहियों की निगरानी की जाती है।
 - यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी निगरानी रखती है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में किए गए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है।
 - यह **रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)** तथा **रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, सर्विस कैपिटल एक्विजिशन प्लान (SCAP)** और सुरक्षा-संबंधी उपकरणों की खरीद योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
- **आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति:** यह सरकारी आवासों के आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश अथवा नियम निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए आवंटित किए जाने वाले आवास भी शामिल हैं।
- **नई समितियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं:**
 - **निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति:**
 - ✓ इसके द्वारा एक **निश्चित समयसीमा के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली** 1,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश की अवसंरचना और विनिर्माण संबंधित परियोजनाओं अथवा इसके द्वारा निर्दिष्ट किसी **अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की जाएगी।**
 - ✓ इसके द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही, इसके द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी।

VISION IAS

- **रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति:**
 - ✓ इसके द्वारा कौशल विकास के लिए सभी **नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा प्रदान** की जाएगी, जिसका उद्देश्य वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने और **जनसांख्यिकीय लाभांश** के लाभों को प्राप्त करने हेतु **कार्यबल की रोजगार क्षमता** को बढ़ाना है।
 - ✓ उल्लेखनीय है कि **कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना**, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देना और संबंधित कारणों की पहचान करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता और उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना आवश्यक है।
 - ✓ मंत्रालयों द्वारा संचालित सभी कौशल विकास पहलों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इन समितियों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में इसकी प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।
- आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर, **प्रधानमंत्री** उपर्युक्त **छह समितियों का अध्यक्ष** होता है।



3. केंद्र-राज्य संबंध

(Centre-State Relations)

3.1. नीति आयोग

(NITI Aayog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **नीति आयोग (NITI Aayog) का पुनर्गठन** किया गया। राजीव कुमार को इसके उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्नामित कर, गृह मंत्री अमित शाह को इसका पदेन सदस्य (ex-officio member) नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1950 में **योजना आयोग (Planning Commission)** की स्थापना आरम्भ में **देश में निवेश गतिविधियों के निर्देशन हेतु एक अभिकरण के रूप में** की गई थी।
- पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा **मुख्यतया निम्नलिखित दो कर्तव्यों का निष्पादन किया जाता था:**
 - **पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन; तथा**
 - **राज्यों को वित्त प्रदान करना।**

इस संदर्भ में, वर्ष 2015 में **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India: NITI Aayog)** का गठन **सरकार के एक थिंक टैंक (विचार मंच) और परामर्शी निकाय** के रुप में किया गया।

नीति आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं (आयोग की संरचना)

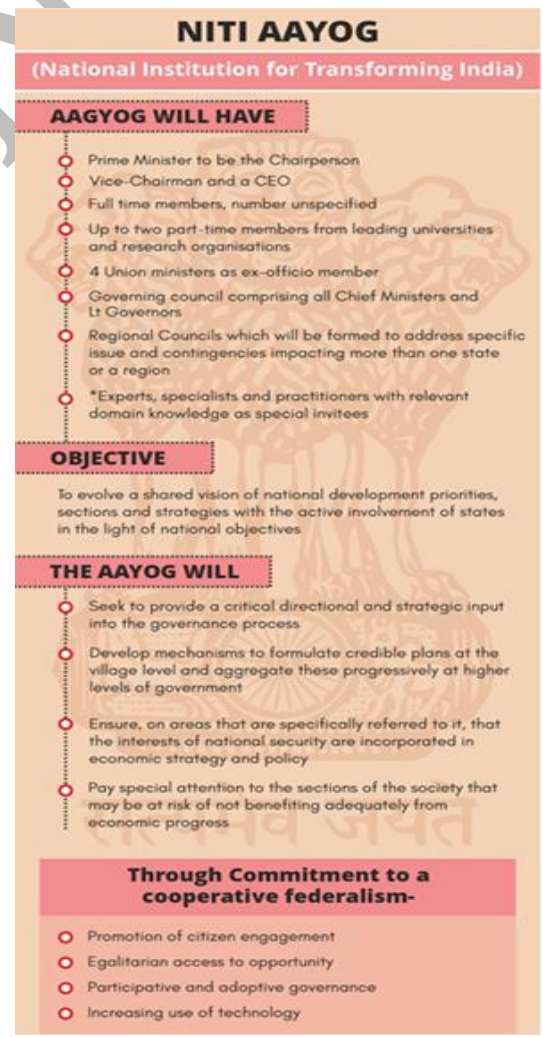
- अध्यक्ष (प्रधानमंत्री);
- उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO);
- पूर्णकालिक सदस्य (संख्या अनिर्दिष्ट);
- अग्रणी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों से अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य;
- पदेन सदस्य के रुप में चार केंद्रीय मंत्री;
- शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल), जिसमें सभी राज्यों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होंगें;
- क्षेत्रीय परिषदें, जिनका गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों तथा आकस्मिकताओं के समाधान हेतु किया जाएगा; तथा
- विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में संबंधित क्षेत्र की प्रासंगिक जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों से संबंधित एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।

आयोग के कार्य

- शासन प्रकिया में एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना;
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण तथा इनका सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर समेकन करने हेतु तंत्रों का विकास करना;



VISION IAS

- आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि उसे सौंपे गए विशिष्ट क्षेत्रों संबंधी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को समाहित किया गया है।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना जिन्हें आर्थिक प्रगति के पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं।

सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से

- नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन;
- अवसरों तक समतावादी पहुंच;
- सहभागितापूर्ण एवं स्वीकार्य शासन; तथा
- प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

नीति आयोग का प्रदर्शन

- **विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का शुभारंभ**
 - महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणामों से संबंधित प्रदर्शन का मापन करना तथा राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना।
 - सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल (SATH/साथ)।
 - एक भारत श्रेष्ठ भारत।
 - अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों के लिए विकास समर्थित सेवाएं (Development Support Services to States: DSSS)।
 - स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
 - केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के लंबित विवादों का समाधान।
 - 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)': 'सबका साथ, सबका विकास' विज़न को क्रियान्वित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि भारत की विकास प्रक्रिया समावेशी बनी रहे।
- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ प्रमाण आधारित नीति-निर्माण को सक्षम बनाना तथा उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना**
 - तीन वर्षीय राष्ट्रीय कार्य एजेंडा तथा 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' (Strategy for New India @75) जो भारत की परिवर्तित वास्तविकताओं के साथ विकासात्मक रणनीति के बेहतर संरेखण को प्रोत्साहित करेंगे।
 - केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) में सुधार।
 - संतुलित क्षेत्रीय विकास।
 - ✓ पूर्वोत्तर को विकास सहायता।
 - ✓ पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम।
 - स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी क्षेत्रों में सुधार।
 - ✓ पोषण (POSHAN) अभियान का शुभारंभ।
 - ✓ राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विकास।
 - ✓ औषध (फार्मास्यूटिकल्स) क्षेत्र में सुधार।
 - ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।
 - ✓ नीति आयोग द्वारा 'इंडियाज रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रोडमैप 2030' संबंधी एक रिपोर्ट को तैयार और प्रकाशित किया गया है।
 - ✓ राष्ट्रीय खनिज नीति, 2018 में संशोधन हेतु रोडमैप।
- **उद्यमशीलता और नवाचारी पारितंत्र को बढ़ावा देना।**
 - **अटल इनोवेशन मिशन** ने भारत में नवाचारी पारितंत्र में सुधार करने हेतु पहले से ही सराहनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भारत में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है।
 - वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन, 2017: वुमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल'
 - महिला उद्यमिता मंच (WEP)

VISION IAS

3.2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तियुक्तकरण

(Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) को अधिक युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पृष्ठभूमि

- **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSSs),** केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित योजनाएं होती हैं। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये योजनाएँ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों से संबंधित होती हैं।
- **CSS वस्तुतः राज्य की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता का सबसे बड़ा घटक** हैं। ज्ञातव्य है कि इनके अंतर्गत राज्यों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त नहीं होती है।
- भारत में योजना काल के आरंभिक वर्षों में CSS की संख्या सर्वाधिक थी; उदाहरणार्थ- 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनकी संख्या 190 थी, जो **9वीं योजना के अंत तक बढ़ कर 360 हो गई।**

CSS के प्रकार	मानदंड	वित्तपोषण प्रतिमान (केंद्र : राज्य)	योजनाएं
अति महत्वपूर्ण योजनाएँ (Core of the Core) (6)	राज्यों की अनिवार्य भागीदारी	• सामान्य श्रेणी के राज्य: मौजूदा प्रतिमान • विशेष श्रेणी के राज्य: मौजूदा प्रतिमान	• मनरेगा (MGNREGA) • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं आदि के लिए) • अनुसूचित जाति (SC) हेतु अम्ब्रेला योजना (SC हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं) • अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु अम्ब्रेला योजना (ST हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं) • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु अम्ब्रेला योजना (OBC हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं) • अल्पसंख्यकों हेतु अम्ब्रेला योजना (अल्पसंख्यकों हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं)
महत्वपूर्ण योजनाएँ (Core) (20)	राज्यों की अनिवार्य भागीदारी	• सामान्य श्रेणी के राज्य: 60: 40 • विशेष श्रेणी के राज्य: 90: 10	• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, वानिकी और वन्य जीवन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि।
वैकल्पिक (Optional) (2)	राज्य या तो सभी अथवा किसी एक का चयन कर सकते हैं।	• सामान्य श्रेणी के राज्य: 50: 50 • विशेष श्रेणी के राज्य: 80: 20	• सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) • राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

CSS को युक्तिसंगत बनाने हेतु किए गए उपाय

- **विचार-विमर्श में राज्यों की भागीदारी:** वर्ष 2014-15 में, राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष **अंतरण** को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में **CSS** हेतु राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- **CSS की संख्या में कमी:** वर्तमान में CSSs की संख्या को **66 से घटाकर 28** कर दिया गया है तथा इन्हें तीन श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है।

VISION IAS

- **राज्यों को प्रदत्त विकल्पों में वृद्धि:** राज्यों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वैकल्पिक योजनाओं के चयन का विकल्प प्रदान किया गया है।
- **निधियों के उपयोग से संबंधित कठोरता में कमी:** प्रत्येक CSS के लिए किये जाने वाले समग्र वार्षिक आबंटन में फ्लेक्सी-फंड्स (लोचशील निधि) की राशि में वृद्धि की गई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों हेतु इसे 10% से बढ़ाकर क्रमशः 25% और 30% कर दिया गया है।
- **CSS का मूल्यांकन:** CSS के अनुमोदन को वित्त आयोग की समयावधि के साथ संबद्ध (को-टर्मिनस) किया जा रहा है। नीति आयोग सभी CSSs के मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है।

3.3. हिंदी भाषा का संवर्द्धन

(Promotion of Hindi Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की साझी भाषा (common language) के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया।

हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 351:** यह संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह -
 - हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए,
 - उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और
 - उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
- **अनुच्छेद 120 और 210,** क्रमशः संसद और राज्य विधान-मंडलों को उनके कार्यसंचालन हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का विकल्प प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 343** निर्दिष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। यह संसद को विधि द्वारा आधिकारिक कार्यों (शासकीय प्रयोजनों) के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करने हेतु निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 344** उपबंधित करता है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा।

भाषाओं के संबंध में अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 29** प्रत्येक भारतीय को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 30** धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 350A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
- **अनुच्छेद 350B:** भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

त्रि-भाषा सूत्र (Three-language formula)

- त्रि-भाषा सूत्र (तीन भाषा प्रणाली) वस्तुतः **तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा** को संदर्भित करता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1968** में एक आधिकारिक दस्तावेज में देश भर में हिंदी की शिक्षा को एक नीति के रूप में निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया।

- NPE, 2019 में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु बाद में इस विचार को प्रारूप नीति से हटा दिया गया।
- ज्ञातव्य है कि राज्य **अनेक दशकों से द्वि-भाषा सूत्र** का अनुपालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है।

3.4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131

(Article 131 of Indian Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केरल और छत्तीसगढ़** ने भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम (केरल) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम (छत्तीसगढ़) जैसे विभिन्न केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

अनुच्छेद 131 के बारे में

- संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की **आरंभिक अधिकारिता** से संबंधित है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य; एक ओर भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के मध्य; एवं दो या अधिक राज्यों के मध्य के किसी विवाद का निस्तारण करता है।
- इसका तात्पर्य यह भी है कि **कोई भी अन्य न्यायालय इस तरह के विवादों की सुनवाई नहीं** कर सकता है।
- अनुच्छेद 131 के तहत किसी मामले को दायर करने के लिए उस मामले को केंद्र और राज्य के मध्य का विवाद होना चाहिए और उसमें आवश्यक रूप से **विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न** अंतर्निहित होना चाहिए जिस पर केंद्र और राज्य के विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है।
- **उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं है:**
 - उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा;
 - किसी अंतर्राज्यीय (inter-state) नदी या नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद;
 - भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों (private individuals) द्वारा दायर की गई याचिका।

उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता

- **सलाहकारी (Advisory):** सलाहकारी अधिकारिता के तहत, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत शीर्ष अदालत से राय लेने का अधिकार प्राप्त है।
- **अपीलीय (Appellate):** अपनी अपीलीय अधिकारिता के तहत, उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है।
- **असाधारण आरंभिक अधिकारिता (Extraordinary original jurisdiction):** उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों, ऐसे मामले जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों शामिल हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करने की अनन्य शक्ति है।
- **रिट अधिकारिता:** उच्चतम न्यायालय को किसी पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus), परमादेश (mandamus), प्रतिषेध (prohibition), अधिकारपृच्छा (quo warranto) और उत्प्रेषण (certiorari) रिट जारी करने का अधिकार है।

VISION IAS

संबंधित तथ्य:

- **अनुच्छेद 256** यह निर्दिष्ट करता है कि **प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति** का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा जिससे **संसद द्वारा बनाई गई विधियों** का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो **उस राज्य में लागू हैं, का अनुपालन सुनिश्चित रहे।**
- इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि **संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार** किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

3.5. अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन

(Removal of Article 370 and 35A)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A

- अनुच्छेद 370 **जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी उपबंध था,** जो राज्य को इसके पृथक संविधान होने की अनुमति के साथ-साथ विशिष्ट शक्तियाँ (special powers) भी प्रदान करता था।
- अनुच्छेद 370 के अनुसार **रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार** को छोड़कर अन्य सभी कानूनों के प्रवर्तन हेतु **संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता** होती थी।

 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, जो अनुच्छेद 370 से ही व्युत्पन्न हुआ था, राज्य के स्थायी निवासियों, उनके विशेषाधिकारों तथा विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित करने हेतु जम्मू और कश्मीर विधान सभा को शक्तियाँ प्रदान करता था।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रपति ने "जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति" से **संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019 {The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019}** प्रख्यापित किया है। इस आदेश में यह उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान राज्य में प्रवर्तनीय होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि वे सभी प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर हेतु एक पृथक संविधान के आधार का निर्माण करते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, **अनुच्छेद 35A** स्वत: निरसित हो गया है।
- इसके साथ ही, राष्ट्रपति के उक्त आदेश के प्रभाव से व्युत्पन्न प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा एक **सांविधिक संकल्प** को भी अनुमोदित किया गया, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (के अधिकांश प्रावधान) को निष्प्रभावी (abrogate) करते हैं।

साथ ही, संसद द्वारा **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019)** को भी पारित किया गया है। इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, यथा- जम्मू और कश्मीर डिवीज़न (विधानसभा युक्त) तथा लद्दाख (विधानसभा रहित)।

अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन कैसे संभव हुआ?

- राष्ट्रपति ने संविधान के **अनुच्छेद 370 (1) के अंतर्गत एक राष्ट्रपतीय आदेश (presidential order)** जारी किया था। यह खंड राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राज्य में प्रवर्तनीय मामलों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **इस आदेश** द्वारा **अनुच्छेद 367** में भी **संशोधन** किया गया। अनुच्छेद 367 में कुछ प्रावधानों के पठन अथवा उनकी व्याख्या संबंधी रीति का समावेश है। संशोधित अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370 (3) में उल्लिखित राज्य की **"संविधान सभा"** अभिव्यक्ति को राज्य की **"विधान सभा"** पढ़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि, अनुच्छेद 370 (3) में यह प्रावधानित था कि अनुच्छेद 370 को राज्य की विधान सभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा। हालांकि, इस संशोधन के कारण अब इसे राज्य विधान-मंडल की अनुशंसा के आधार पर भी सम्पादित किया जा सकता है।

- दूसरे शब्दों में, सरकार ने संविधान के एक प्रावधान (अनुच्छेद 367) में संशोधन करने हेतु अनुच्छेद 370 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया तथा तत्पश्चात अनुच्छेद 370 (3) को संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप यह सांविधिक संकल्प (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन हेतु संकल्प) को प्रस्तुत करने का कारक बना। चूँकि, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था, इसलिए राज्यपाल की सहमति को ही "जम्मू और कश्मीर सरकार" की सहमति स्वीकार कर लिया गया।

उठाए गए कदम के संभावित निहितार्थ

- जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान की पूर्ण प्रवर्तनीयता।
- पृथक ध्वज के विशेषाधिकार का उन्मूलन।
- जम्मू और कश्मीर विधान सभा के पूर्ववर्ती छह वर्षीय कार्यकाल के स्थान पर पांच वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान।
- रणबीर दंड संहिता (जम्मू और कश्मीर हेतु पृथक दंड संहिता) का भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिस्थापन।
- अनुच्छेद 356, जिसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश हेतु भी प्रवर्तनीय होगा।
- विद्यालय-महाविद्यालयों में एडमिशन और राज्य की सरकारी नौकरियों में केन्द्रीय कोटा संबंधी कानून लागू होंगे।
- अन्य राज्यों के लोग सम्पत्ति और निवास अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- सूचना का अधिकार अधिनियम प्रवर्तनीय होगा।
- जम्मू और कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधान जो किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करने वाली राज्य की महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित करते हैं, अवैध घोषित हो सकते हैं।

3.6. इनर लाइन परमिट

(Inner Line Permit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मणिपुर ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट (ILP) प्रदान करने हेतु एक **ऑनलाइन** पोर्टल लॉन्च किया है।

ILP के बारे में

- यह एक **यात्रा दस्तावेज़** है, जो एक भारतीय नागरिक को ILP व्यवस्था के तहत संरक्षित राज्य में भ्रमण करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है।
 - विदेशी पर्यटकों को इन राज्यों के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए एक **संरक्षित क्षेत्र परमिट (Protected Area Permit: PAP)** की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह घरेलू पर्यटकों हेतु आवश्यक ILP से भिन्न होता है।



- वर्तमान में यह प्रणाली चार उत्तर पूर्वी राज्यों, यथा- **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर** तथा **मिज़ोरम** में लागू है।
- यदि कोई भारतीय नागरिक इन राज्यों में से किसी का निवासी नहीं है तो, वह ILP के बिना इन राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकता है और न ही वह ILP में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक इन राज्यों में निवास कर सकता है।
- इस प्रणाली का उद्भव **बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873** से हुआ है, जिसकी सहायता से अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित कर, ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश या अस्थायी निवास को विनियमित करने का कार्य किया था।
- हालांकि, इस व्यवस्था का उद्देश्य **"ब्रिटिश प्रजा"** (भारतीयों) को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोकना तथा ब्रिटिश राजशाही के व्यावसायिक हितों को सुरक्षित करना था।
- वर्ष 1950 में, भारत सरकार द्वारा "ब्रिटिश प्रजा" को **"भारत के नागरिक"** शब्दावली के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया।

- इस परिवर्तन का प्रमुख उद्देश्य अन्य भारतीय राज्यों से संबंधित लोगों से मूल निवासियों (indigenous people) के हितों की सुरक्षा कर स्थानीय चिंताओं का समाधान करना था।

- ILP को संबंधित **राज्य सरकार** द्वारा जारी किया जाता है।
 - इसे ऑनलाइन या प्रत्यक्ष आवेदन के उपरांत प्राप्त किया जा सकता है।
- ILP पर यात्रा की तिथि अर्थात् अवधि निर्धारित करने के साथ ही राज्य में उन विशेष क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट किया जाता है, जहाँ ILP धारक यात्रा कर सकता है।

3.7.पूर्वोत्तर परिषद

(North Eastern Council)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद (NECs) के बजट का 30% वंचित क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

पूर्वोत्तर परिषद की भूमिका और कार्यप्रणाली

- यह पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (वर्ष 2002 में संशोधित) के अंतर्गत स्थापित एक **सांविधिक सलाहकार निकाय** है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए **नोडल एजेंसी** है।
- इसकी संगठनात्मक संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - पदेन सभापति - केंद्रीय गृह मंत्री [पूर्व में यह DoNER (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास) मंत्री था]
 - उपाध्यक्ष - राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय
 - सदस्य - सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य।
- यह **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय** के रूप में कार्य करने हेतु अधिदेशित है।
 - क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करते समय यह परिषद दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करेगी। परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी।

3.8. अंतर-राज्य परिषद

(Inter State Council: ISC)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर-राज्य परिषद (ISC)** को पुनर्गठित किया गया है।

ISC के बारे में

- **संविधान का अनुच्छेद 263** अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) के गठन का प्रावधान करता है।
- इसका गठन **सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से** किया गया।
- यह अंतर्राज्यीय, केंद्र-राज्य तथा केंद्र व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए एक **परामर्शदात्री निकाय है।**
- इसका उद्देश्य सम्बंधित मुद्दों की जांच, चर्चा और उन पर सलाह प्रदान करने के माध्यम से इनके मध्य समन्वय को बढ़ावा प्रदान करना है।
- यह **एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं** है, किंतु यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो इसे 'कभी भी' स्थापित किया जा सकता है।
- संगठन की संरचना में शामिल हैं:
 - **अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री**
 - **सभी राज्यों के मुख्यमंत्री**
 - **विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री**
 - **उन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है**
 - **राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल**
 - **प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृहमंत्री सहित)।**

VISION IAS

- वर्ष 1990 के राष्ट्रपति आदेश का दो बार संशोधन किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से क्रमशः ये प्रावधान किये गये कि **राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य का राज्यपाल परिषद्** की बैठक में भाग लेगा तथा **अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रितों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।**
- वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर **सतत परामर्श और निपटान** हेतु **परिषद की एक स्थायी समिति** की स्थापना की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
 - **अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री**
 - **पांच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**
 - **नौ मुख्यमंत्री**

3.9 दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव का विलय

(Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merged)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 पारित किया गया।

दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 {Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019} से संबंधित तथ्य

- यह अधिनियम दो संघ राज्य क्षेत्रों- दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव का विलय करने हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन करता है। संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
- संविधान की प्रथम अनुसूची विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है।
- संविधान का अनुच्छेद 240 (1) राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। यह अधिनियम इन दो संघ राज्य क्षेत्रों को, विलय के पश्चात् गठित संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिस्थापित करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची के तहत इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए लोकसभा की एक सीट निर्धारित की गई है। अधिनियम द्वारा एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोकसभा की दो सीटें आबंटित करने हेतु अनुसूची में संशोधन किया जाएगा।
- इस अधिनियम द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार जारी रहने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन के साथ भारत में कुल संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है:

- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
- जम्मू और कश्मीर
- चंडीगढ़
- लद्दाख
- दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव
- लक्षद्वीप
- दिल्ली
- पुडुचेरी

इनमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में विधानसभाएं विद्यमान हैं।

3.10. छठी अनुसूची

(6th Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) ने **संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत** "जनजातीय क्षेत्र" के रूप में घोषित करने की अनुशंसा की है।

छठी अनुसूची के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद-244** के तहत **'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों'** के रूप में नामित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान उपबंधित किए गए हैं।

VISION IAS

- छठी अनुसूची में उत्तर-पूर्व के चार राज्यों- **असम, मेघालय, त्रिपुरा** और **मिजोरम** के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध शामिल हैं।
- **छठी अनुसूची के प्रावधान**
- **स्वायत्त जिले:** इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को **स्वायत्त जिलों** के रूप में गठित किया गया है। प्रत्येक जिले में एक-एक **स्वायत्त जिला परिषद** और प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में 30 सदस्यों वाली एक पृथक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में ऐसी **10 परिषदें हैं**।
- **विधायी शक्ति:** भूमि, वन, नहर का जल, झूम कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और विवाह विच्छेद तथा सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट विषयों पर विधि निर्माण हेतु इन्हें विधायी अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए इन्हें राज्यपाल की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है।
- **न्यायिक शक्ति:** जिला परिषद जनजातीय लोगों के मुकदमों और वादों की सुनवाई हेतु ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती है। ऐसे मुकदमों और वादों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- **विनियामक शक्ति:** जिला परिषद जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, नौकाघाटों, मत्स्य पालन क्षेत्रों, सड़कों इत्यादि की स्थापना, निर्माण और उनका प्रबंधन कर सकती है। यह गैर-जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार दिए जाने और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु विनियम बना सकती है। हालाँकि इसके लिए उसे राज्यपाल की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है।
- **कर राजस्व संग्रह:** जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व के आकलन एवं संग्रहण तथा कुछ विशिष्ट करों के अधिरोपण संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं।



4. न्यायपालिका

(Judiciary)

4.1. जजों की संख्या में वृद्धि और इनके स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान

(Provisions Related to Addition and Transfer of Judges)

4.1.1. उच्चतम न्यायालय हेतु और अधिक न्यायाधीश

(Addition of Judges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 करने हेतु एक कानून पारित किया है।

संवैधानिक प्रावधान

- मूल रूप से, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124** के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की गयी थी।
- **अनुच्छेद 124 (1)** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है।
- संसद ने **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956** के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी थी।
- न्यायाधीशों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 31 करने हेतु इस अधिनियम में **वर्ष 2009 में अंतिम संशोधन** किया गया था।

4.1.2. न्यायाधीशों का स्थानांतरण

(Transfer of Judges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय में असामान्य स्थानांतरण के कारण कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के **अनुच्छेद 222(1)** के तहत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- **अनुच्छेद 217(1)** यह प्रावधानित करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त की जाएगी।
- **न्यायिक निर्वचन:** उच्चतम न्यायालय वस्तुतः न्यायाधीशों के चयन, नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी शक्ति को तीन 'न्यायाधीश वादों' (Three Judges Cases) में दिए गए अपने निर्णयों से ग्रहण करता है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से, निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न हुए हैं:
 - किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता।
 - 'न्याय के बेहतर प्रशासन' के लिए केवल 'जनहित' के विषय पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।
 - स्थानांतरण का आदेश राष्ट्रपति द्वारा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी परामर्श और उसकी सहमति के बाद ही दिया जा सकता है।

VISION IAS

तीन जजेज केस (न्यायाधीश वाद) (Three Judges Cases)

- **फर्स्ट जजेज केस, 1981 या एस. पी. गुप्ता वाद:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा राष्ट्रपति को की गई अनुशंसा को "ठोस कारणों" के आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है, इस प्रकार कार्यपालिका को अधिक प्रमुखता प्रदान की गई।
- **सेकंड जजेज केस, 1993:** सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। CJI को केवल न्यायिक नियुक्तियों और स्थानान्तरण के संबंध में दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। हालांकि, नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका द्वारा की गई आपत्ति पर, कॉलेजियम अपनी अनुशंसा, जो कि कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है, को परिवर्तित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।
- **थर्ड जजेज केस, 1998:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने हेतु उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा दो उच्च न्यायालयों (जिनमें से एक उच्च न्यायालय वह होगा जहाँ से न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा रहा हो तथा दूसरा वह होगा जहां उसे स्थानांतरित किया जा रहा हो) के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

4.1.3. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

(Acting Chief Justice)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश नियमित मुख्य न्यायाधीश (CJ) को प्राप्त होने वाली **पेंशन का दावा नहीं कर सकते** हैं।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में

- **अनुच्छेद 223** उपबंधित करता है कि **राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को** उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब:
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद **रिक्त** हो; या
 - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश **अस्थायी रूप से अनुपस्थित** हो; या
 - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश **अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।**
- इसी प्रकार, **अनुच्छेद 126 के तहत, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है,** जब:
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो; या
 - भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो; या
 - भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।

4.2. उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठ

(Regional Bench of the Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की चार क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अधिविष्ट है।

सम्बन्धित तथ्य

- **अनुच्छेद 130 (उच्चतम न्यायालय का स्थान):** अनुच्छेद 130 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अधिविष्ट किया जा सकता है।
- साथ ही, इस प्रकार की न्यायपीठों को स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।

VISION IAS

- उच्चतम न्यायालय को

 1) संवैधानिक न्यायालय (Constitutional court) और

 2) राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (National court of appeal) में विभाजित किया जाता है।
- स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही वर्ष 1986 में **चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय न्यायपीठों के साथ राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय** की स्थापना की अनुशंसा की गई थी।
- **वी वसंत कुमार वाद, 2016** में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय के संबंध में निर्णय हेतु मामले को एक संवैधानिक न्यायपीठ को संदर्भित किया।
- चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में **क्षेत्रीय न्यायपीठों के साथ राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय** का उद्देश्य दीवानी, फौजदारी, श्रम और राजस्व मामलों में उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर दिए गए निर्णयों के पश्चात की गई अपीलों के निपटान हेतु न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करना है।

4.3. ग्राम न्यायालय

(Gram Nyayalayas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने **सभी राज्यों** को एक माह के भीतर **"ग्राम न्यायालयों"** की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है और साथ ही, इसने उच्च न्यायालयों से यह कहा है कि वे इस मुद्दे के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को तीव्र करें।

पृष्ठभूमि

- **विधि आयोग (वर्ष 1986) की 114वीं रिपोर्ट** में निम्नलिखित हेतु जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों (मोबाइल ग्राम न्यायालय) को स्थापित करने की सिफारिश की गयी थी:
 - विशेष रूप से दूरी, समय और संबद्ध लागतों के संदर्भ में बाधाओं को कम करने हेतु समाज के **हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए न्याय** तक पहुंच प्रदान करने।
 - संक्षिप्त प्रक्रिया (summary procedure) प्रदान करके **विलंब को कम** करने।
 - न्यायपालिका के उच्च स्तरों पर **कार्यभार को कम** करने।
- **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** को 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 5,000 से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की संभावना थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने हेतु लगभग 1,400 करोड़ रुपये आबंटित किए थे।
- हालांकि, वर्तमान में केवल 11 राज्यों ने ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए हैं। ज्ञातव्य है कि देश में केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं।
 - उल्लेखनीय है कि, कुछ ही राज्यों द्वारा तत्परता से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में एक भी ग्राम न्यायालय कार्यरत नहीं है।

ग्राम न्यायालयों के बारे में

- **संरचना:** इसे प्रत्येक पंचायत के लिए मध्यवर्ती स्तर पर या एक जिले में मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किया जाता है।
 - **राज्य सरकार,** उच्च न्यायालय के परामर्श से, एक ग्राम न्यायलय की अधिकारिता के तहत शामिल क्षेत्र की **सीमाओं को** अधिसूचित करती है। यह किसी भी समय ऐसी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है।
 - यह अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले गाँवों में **मोबाइल न्यायालय** संचालित कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

VISION IAS

- **नियुक्तियां: राज्य सरकार द्वारा** उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए **न्यायाधिकारी** नामक एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके पास **प्रथम श्रेणी के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में** नियुक्त होने की पात्रता हो।
 - न्यायाधिकारी के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान होंगे।
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य वर्गों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
- **अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार:** ग्राम न्यायालयों को **फौजदारी** एवं **दीवानी** दोनों न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त होंगी। दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को एक डिक्री (न्यायिक निर्णय) माना जाएगा।
 - ग्राम न्यायालयों द्वारा इस अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट **आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों या वादों पर न्यायालयी कार्यवाही** संचालित की जा सकती है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - ✓ मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की सजा से भिन्न अपराध।
 - ✓ **केंद्रीय कानूनों से संबंधित अपराध,** जैसे- मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, नागरिक अधिकारों का संरक्षण, बंधुआ मजदूरी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण आदि।
 - ग्राम न्यायालय अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में **केंद्र** और **राज्य** दोनों सरकारों द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
- **ग्राम न्यायालय; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रावधानित रूल्स ऑफ़ एविडेंस** (साक्ष्य नियमावली) के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य नहीं है, अपितु ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किसी भी नियम के अधीन होते हैं।
 - फौजदारी मामले के निर्णय के विरुद्ध अपील सत्र-न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, जबकि दीवानी मामले में अपील जिला न्यायालय में की जाएगी। अपील की सुनवाई और निस्तारण छह माह के भीतर की जाएगी।

4.4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(National Legal Services Authority: NALSA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा "मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल" नामक विज़न 2020 दस्तावेज़ जारी किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सकें और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके।
- NALSA में भारत के मुख्य न्यायाधीश व सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होते हैं, मुख्य न्यायाधीश NALSA का मुख्य संरक्षक होता है तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नामांकन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है।
- लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों के संचालन हेतु जिलों में **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** तथा तालुकाओं में **तालुका विधिक सेवा समितियों** का गठन किया गया है।

नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महिलाएं और बच्चे।
- SC / ST के सदस्य।
- औद्योगिक कामगार।
- मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति से पीड़ित।
- बड़े पैमाने पर आपदा, बाढ़, सूखा, हिंसा, भूकंप,औद्योगिक आपदा आदि से पीड़ित लोग।
- दिव्यांग जन।

- हिरासत में लिया गया व्यक्ति।
- व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में यह सीमा पांच लाख रुपये है)।
- मनाव दुर्व्यापार के पीड़ित अथवा भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग।

संबंधित तथ्य: टेली-लॉ पहल

- टेली-लॉ का उद्देश्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SALSA) और सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर स्थित अधिवक्ताओं के एक पैनल के माध्यम से **विधिक परामर्श की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाना है।**
- **न्याय विभाग** ने सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से हाशिये पर रहे वर्गों हेतु विधिक सहायता को मुख्यधारा में लाने हेतु **NALSA** और **CSC** के साथ भागीदारी की है।
- वर्ष 2017 में प्रारम्भ की गई इस योजना को 115 आकांक्षी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है।

मानवाधिकार के रूप में विधिक सहायता

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार मूल अधिकार है।
- संविधान का अनुच्छेद 39A (42 वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39, 43A, 48A के साथ जोड़ा गया) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
- मानवाधिकार के रूप में विधिक सहायता की परिकल्पना मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा,1948 में की गई है।

4.5. अधिकरणों के लिए नए नियम

(New Rules for Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा **विभिन्न अधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए एक समान मानदंडों को निर्धारित** करते हुए नए नियमों को तैयार किया गया है।

अधिकरण

- अधिकरण एक अर्द्ध -न्यायिक निकाय होता है। भारत में इनका गठन अनुच्छेद 323-A या 323-B के अंतर्गत संसद या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विवादों के न्यायनिर्णयन या विचारण हेतु किया जा सकता है।
- संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B को **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1976 में **42वें संविधान संशोधन अधिनियम** के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया था।
 - अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है।
 - अनुच्छेद 323-B अन्य विषयों के लिए अधिकरणों से संबंधित है।
- ये विशेष रूप से **तकनीकी विशेषज्ञता** की आवश्यकता वाले विवादों के न्यायनिर्णयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।
- ये सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी **एकसमान प्रक्रिया का पालन करने हेतु बाध्य नहीं** हैं, लेकिन इनके द्वारा **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन** करना अनिवार्य है।
- इन्हें दीवानी न्यायालय (civil court) की कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे - समन जारी करना और गवाहों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना। इसके **निर्णय कानूनी तौर पर पक्षकारों के लिए बाध्यकारी** होते हैं, हालांकि इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है।

VISION IAS

नए नियमों के बारे में

- वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा **"अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकारी (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020"** को तैयार किया गया है।
- ये नियम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण; **आयकर अपीलीय अधिकरण; सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण** सहित 19 अधिकरणों पर लागू होंगे।
 - **हालांकि, ये नियम विदेशी विषयक अधिकरणों (Foreigners Tribunals) पर लागू नहीं** होंगे।
- **नियुक्ति:** उपर्युक्त अधिकरणों में नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा **"खोज-सह-चयन समिति"** द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी। इस समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
 - भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित एक न्यायाधीश;
 - संबंधित अधिकरण का अध्यक्ष/चेयरपर्सन; तथा
 - संबंधित मंत्रालय/विभाग से दो सरकारी सचिव।
- **पदच्युति:** खोज-सह-चयन समिति के पास उपर्युक्त अधिकरणों के किसी सदस्य को हटाने की सिफारिश करने के साथ-साथ किसी सदस्य पर लगे कदाचार के आरोपों की जांच करने की भी शक्ति है।
- **अधिकरण के सदस्यों के लिए योग्यता (अर्हता):** केवल न्यायिक या विधिक अनुभव वाले व्यक्ति ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- **पदावधि:** नए नियमों के तहत अधिकरणों के सदस्यों के लिए **चार वर्ष की** एक निश्चित पदावधि का प्रावधान किया गया है। यह वर्ष 2017 के नियमों के संबंध में न्यायालय की टिप्पणी पर आधारित है, जहाँ पूर्व में न्यायालय ने कहा था कि तीन वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान (वर्ष 2017 के नियमों में), सदस्यों को न्याय-निर्णयन संबंधी अनुभव प्राप्त करने से रोकता है और इस प्रकार यह अधिकरण की दक्षता के लिए हानिकारक है।
- **स्वतंत्रता:** वर्ष 2017 के नियमों में यह प्रावधान था कि सदस्य पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वर्ष **2020 के इन नियमों में इस प्रावधान को हटा** दिया गया है, क्योंकि न्यायालय द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि इस तरह के प्रावधान सदस्यों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

4.6. ज़ीरो पेंडेंसी कोर्टस प्रोजेक्ट

(Zero Pendency Courts Project)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **"जीरो पेंडेंसी कोर्टस "** नामक अपने पायलट प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजधानी के कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में **जीरो पेंडेंसी कोर्टस प्रोजेक्ट** आरंभ किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य **वाद दायर करने की तिथि से लेकर अंतिम निपटान तक** 'मामलों के प्रवाह' का यथार्थ व वास्तविक समय में अध्ययन करना है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, वर्ष 2018 में **अधीनस्थ न्यायालयों में 2.93 करोड़ मामले, उच्च न्यायालयों में 49 लाख मामले और उच्चतम न्यायालय में 57,987 मामले लंबित थे।**
- **उत्तर प्रदेश (61.58 लाख) में लंबित मामले सर्वाधिक हैं, इसके पश्चात महाराष्ट्र (33.22 लाख) का स्थान है।**

संबंधित जानकारी:

विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (Legal Information Management & Briefing System: LIMBS) सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों के विभिन्न न्यायिक वादों की निगरानी एवं संचालन के लिए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विकसित एक **वेब-आधारित पोर्टल** है।

VISION IAS

4.7. उपचारात्मक याचिका

(Curative Petition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में निर्भया मामले के अभियुक्तों द्वारा उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर की गई थी।

उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) के बारे में

- ज्ञातव्य है कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम बार **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा वाद (2002)** में इस प्रश्न पर विकसित की गई कि क्या कोई असंतुष्ट व्यक्ति **पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के पश्चात भी** उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय/आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने हेतु अधिकृत है।
- यह अनुच्छेद 137 की व्याख्या पर आधारित है, जो यह प्रावधान करता है कि **अनुच्छेद 145** के तहत निर्मित क़ानूनों और नियमों के मामले में, **उच्चतम न्यायालय को स्वयं द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त होगी।**
- इसके दो उद्देश्य हैं: न्याय के दुर्वहन को रोकना (avoid miscarriage of justice) और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना (prevent abuse of process)।

प्रक्रिया (Procedure)

- उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) अंतिम दोषसिद्धि के खारिज होने के विरुद्ध एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) के पश्चात् दायर की जा सकती है।
- यदि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करता है कि **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन** हुआ था तथा आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई थी, तो उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है।
- किसी उपचारात्मक याचिका को सर्वप्रथम **तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ को तथा संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों** के उपलब्ध होने पर उनके पास भेजी जानी चाहिए। यदि इनमें से अधिकांश न्यायाधीश बहुमत से यह निष्कर्ष प्रदान करते है कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है, तो इसे उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
- यदि खुले न्यायालय में सुनवाई हेतु किसी विशेष अनुरोध को अनुमति प्रदान न की गई हो तो उपचारात्मक याचिका **सामान्यतः न्यायाधीशों द्वारा चैम्बर में विनिश्चित** की जाती है।
- संबंधित पीठ को यदि किसी भी स्तर पर यह अनुभूति होती है कि याचिका अंतर्निहित पात्रता से युक्त नहीं है, **तो पीठ याचिकाकर्ता पर अर्थदंड आरोपित कर सकती है।**

4.8. गवाह संरक्षण योजना

(Witness Protection Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को गवाह संरक्षण योजना अपनाने हेतु निर्देश दिया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा इस विषय से सम्बंधित विधि का प्रवर्तन किए जाने तक **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अंतर्गत विधिक वैधता** प्रदान की है।
- **यद्यपि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम के तहत** गवाह संरक्षण का प्रावधान पहले से ही है, तथापि इस योजना के तहत अन्य सभी मामलों में भी खतरे के स्तर के अनुसार गवाहों हेतु संरक्षण का विस्तार किया गया है। गवाह संरक्षण विधेयक अभी भी लंबित है।
- **ज़ाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्य वाद में** उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई हेतु गवाह संरक्षण आवश्यक है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

अनुच्छेद, 141 - उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

अनुच्छेद, 142 - इसके तहत उच्चतम न्यायालय **पूर्ण न्याय** (उन मामलों में जिनमें कुछ स्पष्ट अवैधता दिखती है, अनुपयुक्त न्यायाधिकार का प्रयोग अथवा स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है) सुनिश्चित करने हेतु यथोचित राहत प्रदान कर सकता है। उपचारात्मक याचिका (Curative petition) की उत्पत्ति इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित है।

गवाह संरक्षण योजना के संबंध में

- इस योजना का उद्देश्य किसी गवाह को निडरतापूर्वक और सत्यता के साथ गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत, गवाह के संरक्षण हेतु जहां तक संभव हो गवाह को न्यायालय कक्ष तक पुलिस एस्कॉर्ट प्रदान करने या संगठित आपराधिक समूह से सम्बंधित अधिक जटिल मामलों में, एक सुरक्षित घर में अस्थायी निवास प्रदान करने, एक नई पहचान देने, और किसी अज्ञात जगह पर स्थानांतरण करने जैसे असाधारण उपाय हो सकते हैं।
- इसमें निम्न से संबंधित प्रावधान हैं-
 - गवाह संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,
 - तकनीक का प्रयोग, जैसे- मुक़दमे के दौरान कैमरे का प्रयोग
 - **गवाह संरक्षण निधि** आदि।



5. निर्वाचन

(Elections)

5.1. चुनावी बॉण्ड्स

(Electoral Bonds)

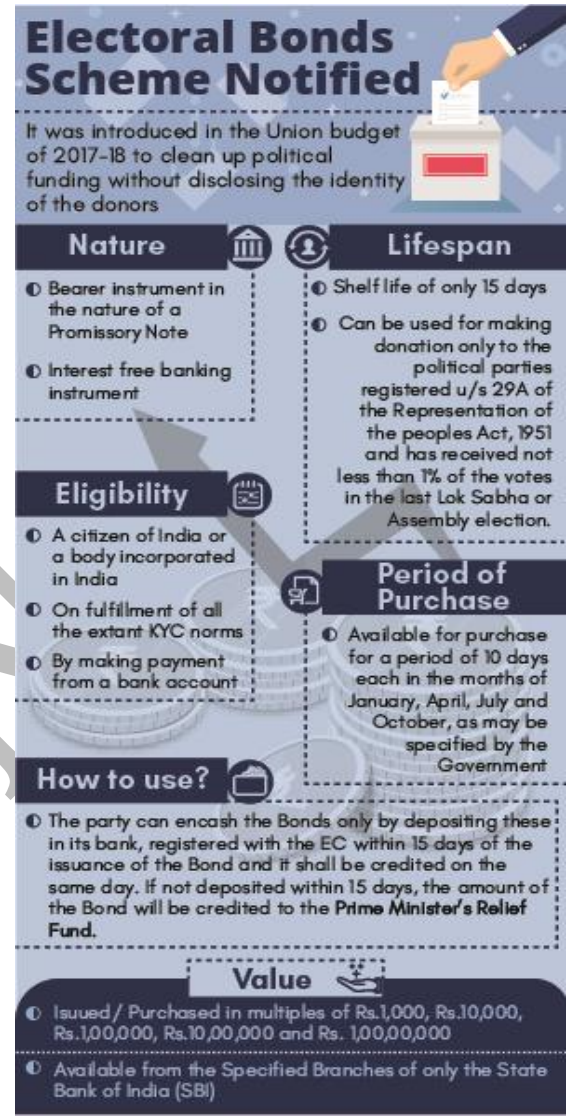
सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में चुनावी बॉण्ड्स के संबंध में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- चुनावी बॉण्ड्स के माध्यम से अब तक एकत्रित किए गए 5,896 करोड़ रुपये में से 91 प्रतिशत से अधिक एक करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग वाले बॉण्ड्स थे।
- चुनावी बॉण्ड्स के मूल्य के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि कुल चार शहरों (अर्थात् मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और हैदराबाद) में 83 प्रतिशत बॉण्ड्स खरीदे गए।

यह स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार हेतु उपलब्ध नहीं है तथा ऋणों हेतु संपार्श्विकों के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। यह केवल भौतिक स्वरूप में उपलब्ध है।



5.2. राष्ट्रीय दल का दर्जा

(National Party Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने **नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)** को एक राष्ट्रीय दल के रुप में घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाला यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक दल है।

अन्य संबंधित तथ्य

- NPP को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में राज्य स्तरीय दल के रुप में मान्यता प्राप्त है।
- यह देश का **8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल** बन गया है। अन्य सात राष्ट्रीय राजनीतिक दल निम्नलिखित हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
- **निर्वाचन आयोग** द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल के रुप में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि वह निम्नलिखित **अर्हताओं** में से कम से कम एक को पूरा करता है:
 - यदि उसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में **चार या अधिक राज्यों** में डाले गए कुल वैध मतों का **छह प्रतिशत** प्राप्त हुआ हो तथा इसके अतिरिक्त, उस दल ने किसी भी राज्य या राज्यों से **लोकसभा की कम से कम चार सीटें** प्राप्त की हों; अथवा
 - यदि उसने आम चुनाव में **लोकसभा की दो प्रतिशत** सीटों पर विजय प्राप्त की हो; और ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से निर्वाचित हुए हों; अथवा
 - यदि किसी दल को कम से कम **चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल** के रुप में मान्यता प्राप्त हो।
- हालांकि, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को **विपंजीकृत** करने हेतु प्राधिकृत नहीं है।

VISION IAS

संबंधित तथ्य: स्टार प्रचारक

- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक और एक गैर मान्यता प्राप्त (किंतु पंजीकृत) राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।
- निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग के पास संप्रेषित कर दिया जाना चाहिए।
- स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले व्यय को प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल किए जाने से छूट प्राप्त होती है।
- यदि कोई प्रत्याशी या उसका चुनाव एजेंट किसी रैली में किसी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है, तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय के अतिरिक्त, उस रैली का संपूर्ण व्यय, प्रत्याशी के व्ययों में सम्मिलित किया जाता है।

आम चुनाव 2019 - महत्वपूर्ण आंकड़े

- **कुल मतदान-** अंतिम रूप से कुल मतदान **67.11%** रहा तथा इसे लोकसभा चुनाव के इतिहास में सर्वाधिक कुल मतदान के रूप में दर्ज किया गया।
- **नोटा (NOTA)**- आम चुनाव 2019 में यह कुल मतों का लगभग **1.04%** था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यह कुल मतों का लगभग 1.08% था।
- **महिला मतदाता-** पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत में समता (पैरिटी) क्रमशः **66.79** प्रतिशत और **66.68** प्रतिशत रही।
- **महिला सांसद-** 17वीं लोकसभा में रिकार्ड 78 महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

5.3. परिसीमन आयोग

(Delimitation Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और साथ ही साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं व संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परिसीमन आयोग द्वारा **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** के प्रावधानों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
- तथा **परिसीमन अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व नागालैंड राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा।
 - लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कार्य को नवंबर 2008 में पूर्ण किया गया था।
 - हालांकि, इस प्रक्रिया को **अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर** और **नागालैंड** में **शांति एवं लोक व्यवस्था से संबंधित ख़तरे को संज्ञान में लेते हुए स्थगित** कर दिया गया था।
 - इस आयोग की **अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई** द्वारा की जाएगी।

परिसीमन के बारे में

- परिसीमन का शाब्दिक आशय **'विधायी निकाय वाले किसी देश या किसी प्रांत के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमाओं अथवा सीमाओं का निर्धारण करने के कार्य या प्रक्रिया'** से है।
- **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत**, संसद प्रत्येक जनगणना के उपरांत एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करती है, जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।

VISION IAS

- **अनुच्छेद 170 के अंतर्गत,** राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के पश्चात् परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- भारत में, ऐसे परिसीमन आयोगों को 4 बार गठित किया गया है, यथा- वर्ष 1952, 1963, 1973 और वर्ष 2002 में।
- परिसीमन आयोग को **भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** किया जाता है और यह **भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग** में कार्य करता है।
- **परिसीमन आयोग में तीन पदेन सदस्य होते हैं, यथा-**
 - अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश;
 - मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) अथवा CEC द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त; और
 - संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त।
- **इसके कार्यों में शामिल हैं:**
 - सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समरूप बनाने और जनसंख्या के समान खंड को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु **निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण** करना।
 - **अनुसूचित जातियों** और **अनुसूचित जनजातियों** के लिए (जहाँ भी उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अत्यधिक हो) **आरक्षित सीटों की पहचान करना।**
- ज्ञातव्य है कि परिसीमन आयोग के **आदेशों में विधि का प्रभाव** निहित होता है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।
- केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण **वर्ष 1981** और **1991 की जनगणना के पश्चात् कोई परिसीमन नहीं** हो सका था।
- वर्ष 2002 में, **84वें संविधान संशोधन** के माध्यम से वर्ष 2026 तक के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की परिसीमन प्रक्रिया को रोक दिया गया था।

5.4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

(Electronic Voting Machines: EVMs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) किसी तरह की **'सूचना'** नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के संबंध में

- EVM में एक **"कंट्रोल यूनिट"** और एक **"बैलेटिंग यूनिट"** संलग्न होता है। कंट्रोल यूनिट, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी के पास तथा बैलेटिंग यूनिट मतदान कक्ष, जहां मतदाता गुप्त रूप से मतदान करता है, में रखी जाती है।
- यह कंट्रोल यूनिट में लगी सिंगल **एल्कलाइन** बैटरी से संचालित होती है और उन क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ विद्युत् नहीं है।
- इनका निर्माण **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** द्वारा किया गया है।

भारतीय चुनावों में EVM का इतिहास

- EVM का **प्रथम प्रयोग 1982 के केरल विधानसभा चुनाव (उपचुनाव)** में किया गया था।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 और चुनाव नियम 1961 के तहत EVM के प्रयोग की अनुमति नहीं होने के कारण इस चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था।
- EVM के प्रयोग की अनुमति देने के लिए **1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** को संशोधित किया गया।
- सम्पूर्ण राज्य के लिए इसका **सवर्प्रथम प्रयोग 1999 में, गोवा विधान सभा चुनाव** में किया गया था।
- **लोकसभा** के लिए EVM का सवर्प्रथम प्रयोग **2004** के लोकसभा चुनावों में किया गया था।

VISION IAS

5.5. सुर्खियों में रही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराएं

(Sections of Representation of the People Act (RP Act), 1951 in News)

धारा	प्रावधान
धारा 8(1)	• भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 आदि के कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति को चुनाव लड़ने से निरर्ह घोषित किया जाएगा।
धारा 11	• यह निरर्हता की कालावधि को कम करने या हटाने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को आवश्यक अधिकार प्रदान करती है।
धारा 126	• यह किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए तय अवधि से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के उपकरण के माध्यम से, किसी भी तरह की चुनाव सामग्री के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है।
धारा 29A	• निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण।

5.6. निर्वाचन आयोग द्वारा की गयी कुछ पहलें

(Some Initiatives by Election Commission)

5.6.1. राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली

(Political Parties Registration Tracking Management System: PPRTMS)

- भारत निर्वाचन आयोग ने **राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS)** का शुभारम्भ किया है। इसे **आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।**

राजनीतिक दलों का पंजीकरण

- निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें **उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है।**
- अन्य दलों को केवल **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों** के रूप में घोषित किया जाता है।
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की **धारा 29A** के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

5.6.2. मतदाता सत्यापन हेतु चेहरे की पहचान

(Facial Recognition for Voter Verification)

- **तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग** ने वास्तविक समय प्रमाणीकरण क्षमताओं का उपयोग करते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाता सत्यापन हेतु फेशियल रिकॉग्निशन एप्लिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- यह **किसी दूसरे के स्थान पर वोट डालने (प्रॉक्सी-वोटिंग) के मामलों को कम करने में सहायक है।**
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए फेशियल रिकॉग्निशन एप्लिकेशन को मोबाइल फोन में अपलोड किया गया तथा **कोम्पल्ली नगरपालिका** में शहरी स्थानीय निकाय निर्वाचनों के दौरान 10 मतदान केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया।

5.6.3. डाक मतपत्र

(Postal Ballot)

- हाल ही में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में **दिव्यांग** व्यक्तियों (PWDs) और **80 वर्ष से अधिक आयु** के व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी गई थी।
- डाक मतपत्र, चुनाव में मतदान का एक प्रकार है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPB) को **मतदाताओं को वितरित किया जाता है तथा डाक द्वारा ही इसे पुनः प्राप्त किया जाता है।**
- **सेवारत मतदाताओं (Service voters)** के लिए **डाक मतपत्र या प्रॉक्सी मतदान** के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है। इसमे निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - केंद्रीय सशस्त्र बलों के सदस्य।

- उन बलों के सदस्य, जिन पर सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू हैं।
- किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों और उस राज्य के बाहर सेवारत सदस्य।
- वे व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा नियोजित हैं।

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत, कैदियों को मतदान करने की अनुमति नहीं है,** लेकिन निवारक निरोध के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

5.6.4. विश्व निर्वाचन निकाय संघ

(Association of World Election Bodies: A-WEB)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बेंगलुरु में विश्व निर्वाचन निकाय संघ (A-WEB) की चौथी महासभा की मेजबानी की।

विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies A-WEB) के बारे में-

- यह संपूर्ण विश्व के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (Election Management Bodies- EMBs) का सबसे बड़ा संघ है।
- इसकी स्थापना वर्ष **2013** में **दक्षिण कोरिया** में हुई। इसका स्थायी सचिवालय **सियोल** में स्थित है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों में निर्वाचन प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना है।
- यह संपूर्ण विश्व में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण चुनाव आयोजित करवाने तथा सतत लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देता है।
- यह विभिन्न निर्वाचन प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और EMBs के अन्य सदस्यों के साथ अनुभव साझा करने के लिए विभिन्न देशों में **निर्वाचन आगंतुक और पर्यवेक्षण कार्यक्रम** का आयोजन करता है।
- A-WEB सचिवालय EMBs के सदस्यों व अधिकारियों के लिए **निर्वाचन प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का भी आयोजन करता है।



6. महत्वपूर्ण विधान/विधेयक

(Important Legislations/Bills)

6.1. सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन

(Amendment to the RTI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019** पारित किया गया।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में

- CIC को **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।
- आयोग का गठन एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस से अनधिक सूचना आयुक्तों (IC) से मिलकर होता है।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति में **अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं।**
- इन्हें विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया अथवा प्रशासन एवं शासन में व्यापक ज्ञान व अनुभव के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट व्यक्तित्व होना चाहिए।
- ये पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होते हैं।

RTI अधिनियम में किए गए संशोधन

- **निश्चित कार्यकाल की समाप्ति:** RTI अधिनियम के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) का कार्यकाल **पांच** वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। हालिया संशोधन द्वारा इस प्रावधान को **समाप्त** कर दिया गया है और निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा CIC और ICs की पदावधि को अधिसूचित किया जाएगा।
- **वेतन का निर्धारण:** RTI अधिनियम के अनुसार, CIC और ICs (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) के वेतन के समान होगा। इसी प्रकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः राज्य के निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य सचिव के समान होगा।
- इस संशोधन के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है।
- संशोधित अधिनियम के तहत निम्नलिखित **सूचना के अधिकार (RTI) नियम** प्रस्तुत किए गए:
 - यह "सेवा की शर्तों" को निर्धारित करने के लिए सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जो नियमों (अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग में) में स्पष्ट रूप से समाविष्ट नहीं हैं।
 - ✓ इस प्रकार के मामलों में, केंद्र सरकार का निर्णय **सूचना आयुक्तों (ICs)** के लिए **बाध्यकारी होता** है।
 - सरकार नियमों के प्रावधानों की प्रवर्तनीयता को **"शिथिल करने"** हेतु प्राधिकृत है।
 - सभी नियमों की अंतिम विवेचना का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है।

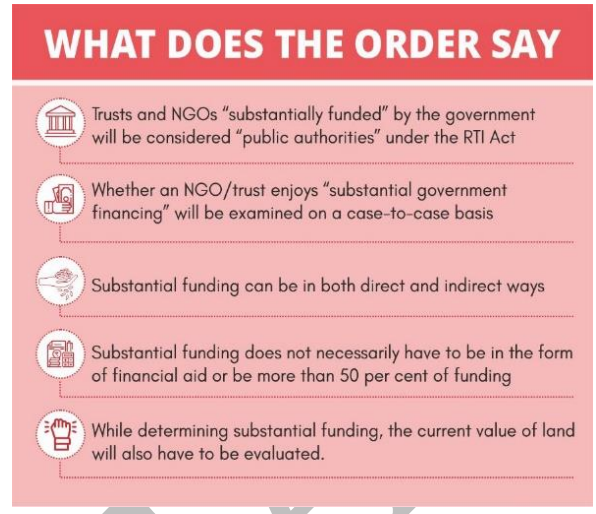
6.1.1. सूचना के अधिकार से संबंधित हालिया निर्णय

(Recent Judgements Related to RTI)

- **केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा भारत के उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद** में उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का **कार्यालय** सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 2(h) के अधीन एक 'लोक प्राधिकारी' माना जाएगा।
 - निम्नलिखित सूचनाएं RTI के अधीन प्रकट की जा सकती हैं यथा:
 - ✓ न्यायधीशों और CJI की निजी संपत्ति की सूचना जो **उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।**
 - ✓ कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नाम।

VISION IAS

- निम्नलिखित सूचनाएं RTI के अधीन **प्रदान नहीं** की जा सकती हैं यथा:
 - ✓ न्यायाधीशों की अनुशंसा हेतु कॉलेजियम द्वारा उद्धृत कारण।
 - ✓ RTI अधिनियम की **धारा 8** (सूचना के प्रकटीकरण से छूट) के तहत संरक्षित सूचना।



- **डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट और मैनेजमेंट सोसाइटी बनाम डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाद** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत **सरकार से निधि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को RTI अधिनियम के दायरे** अंतर्गत ला दिया गया है।
 - वर्तमान में गैर-सरकारी संगठनों को **विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA)** और **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)** के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित किया जाता है।
 - इस निर्णय का प्रभाव यह होगा कि, NGOs को RTI अधिनियम के तहत अपने लेखों का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और प्रत्येक नागरिक को उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

- RTI अधिनियम की **धारा 2(h)** के अधीन लोक प्राधिकारी का अर्थ, किसी भी ऐसे प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था से है जिसे-
 - संविधान द्वारा या उसके अधीन;
 - संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा;
 - राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा तथा
 - समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित किया गया है और इसके अंतर्गत
 - ✓ ऐसा कोई भी निकाय शामिल है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;
 - ✓ कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है, जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।
 - RTI अधिनियम **सारभूत वित्तपोषण** को परिभाषित नहीं करता।
 - उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सारभूत वित्तपोषण की परिभाषा के दायरे में वृद्धि की है तथा उसके अनुसार यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है।
- RTI अधिनियम की **धारा 8(1)(j)** के अनुसार: सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है , जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता का अनावश्यक अतिक्रणम होगा, जब तक कि, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, RTI के लिए आवेदन कर सकता है।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के सभी परिवारों को किसी भी प्रकार के शुल्क देने से छूट प्रदान की गई है, जबकि अन्य वर्गों हेतु 10 रुपये के नाममात्र शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है।

VISION IAS

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA) 2010

- यह व्यक्तियों या संगमों या कंपनियों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किन्हीं क्रियाकलापों तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति एवं उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को लाइसेंस हेतु आवेदन करना आवश्यक है।
 - गैर-सरकारी संगठन (NGO) को कम से कम **3 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना** चाहिए और इसके द्वारा अपने क्रियाकलापों पर अपने आवेदन की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्षों में कम से कम 1,000,000 रुपये व्यय किया गया हो।
 - इसके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में यथोचित कार्य किया गया हो, जिसके लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग प्रस्तावित है।
 - स्थायी FCRA लाइसेंस वाले NGO को अब **प्रत्येक पांच वर्षों** में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
 - गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त विदेशी अभिदाय का 50% से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।
- **FCRA में किए गए हालिया परिवर्तन**
 - सरकार द्वारा कई प्रतिष्ठित NGOs को विदेशों से अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि **उन्होंने लगातार पाँच वर्षों तक अपना वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया था।**
 - NGOs द्वारा उन बैंक खातों का प्रमाणन करना आवश्यक हो गया है, जिनमें विदेशी धन प्राप्त होता है।
 - वर्ष 2017 में, गृह मंत्रालय ने परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार FCRA के तहत पंजीकृत सभी NGOs को एक प्राधिकृत बैंक खाते से ही विदेशी अभिदाय प्राप्त करना चाहिए।
 - NGOs को यह घोषणा करते हुए एक शपथ-पत्र दायर करना होगा कि **कोई भी व्यक्ति धार्मिक परिवर्तन के किसी भी कार्य में शामिल नहीं है या सांप्रदायिक असामंजस्य के अपराध में अभियोजित नहीं किया गया है।**

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)

- इसे विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ, **विदेशी मुद्रा से संबंधित क़ानूनों को समेकित एवं संशोधित** करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- FEMA के तहत पंजीकृत कुछ गैर-सरकारी संगठन भी **वित्त मंत्रालय** के अंतर्गत आते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित अन्य विनियमन

- **श्रम अधिनियम: 20** से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले किसी भी गैर-सरकारी संगठन को **कर्मचारी भविष्य निधि** का अनुपालन करना चाहिए (यदि गैर-सरकारी संगठन में 20 से कम कर्मचारी नियोजित हैं तो अनुपालन स्वैच्छिक है)।
- **प्रत्यायन:** हाल ही में, **विजय कुमार समिति** की अनुशंसाओं के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों के लिए नए प्रत्यायन दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे।
 - **नीति आयोग** को **सरकार से निधि प्राप्त करने के इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण और प्रत्यायन के उद्देश्य** से **नोडल एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया गया है।

RTI और न्यायपालिका

- **RTI** अधिनियम ने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को इसके प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु अधिकार प्रदान किए हैं और इस संदर्भ में इन सभी न्यायालयों ने अपने-अपने नियम निर्मित किए हैं।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय के नियमों ने चार प्रमुख तरीकों से RTI को क्षीण कर दिया है। RTI अधिनियम के विपरीत, ये नियम निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपबंध नहीं करते हैं-
 - सूचना प्रदान करने के लिए समय सीमा;
 - एक अपील तंत्र;
 - सूचना प्रदान करने में विलंब या सूचना देने में अनुचित अस्वीकृति के लिए अर्थदंड तथा

VISION IAS

- "यथोचित कारणों (good cause shown) के आधार पर " नागरिकों के लिए आकस्मिक प्रकटीकरण करना।

- RTI अधिनियम की **धारा 23** किसी भी न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार करने से वर्जित करता है। यद्यपि, इस तथ्य से एक विरोधाभास भी उत्पन्न होता है क्योंकि भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किसी भी क़ानून का अधिरोहण करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का निर्णय अंतिम होगा और केंद्रीय सूचना आयोग में किसी भी स्वतंत्र अपील के अधीन नहीं होगा।

6.2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

{Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC) की कार्यप्रणाली को अधिक समावेशी और कुशल बनाने हेतु **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019** को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- वर्ष 2017 में जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय **"ग्लोबल अलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन (GANHRI)"** द्वारा NHRC को अपने कर्मचारियों के मध्य लैंगिक संतुलन और बहुलता सुनिश्चित करने में आयोग की विफलता तथा अपने सदस्यों के चयन में पारदर्शिता की कमी और बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण **A-ग्रेड प्रत्यायन** प्रदान नहीं किया गया था।
- हालांकि, फरवरी 2018 में, GANHRI द्वारा NHRC (भारत में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था) को पुन: A-ग्रेड प्रत्यायन प्रदान किया गया था।

पेरिस सिद्धांतों के बारे में

- UN पेरिस सिद्धांत ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानदंड प्रदान करते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को (पांच प्रमुख प्रावधानों/मूल्यांकन के तहत) स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि संस्थान:
 - मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी स्थिति की निगरानी करता हो,
 - कानून एवं सामान्य अनुपालन पर तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर एवं विशिष्ट मानवाधिकार उल्लंघनों पर सरकार को सलाह प्रदान करता हो
 - क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करने में सक्षम हो।
 - मानवाधिकार के क्षेत्र में शिक्षित और सूचित करने में सक्षम हो।
 - तथा कुछ संस्थानों को अर्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

1993 के मूल अधिनियम में संशोधन Amendments to the original Act of 1993

प्रावधान	1993 का मूल अधिनियम	2019 का संशोधित अधिनियम
NHRC की संरचना	• मूल अधिनियम के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। • मूल अधिनियम के अनुसार, NHRC के सदस्यों के रूप में **दो** वैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो।	• संशोधित अधिनियम के अनुसार, **उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश** NHRC का अध्यक्ष होगा। • संशोधन के माध्यम से **तीन** सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है, **जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।** • संशोधित अधिनियम के अनुसार, NHRC के पदेन सदस्यों के रूप में **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग**

	• मूल अधिनियम के अनुसार, विभिन्न आयोगों, जैसे- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं।	**आयोग व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त** को भी शामिल किया गया है।
राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission: SHRC) का अध्यक्ष	• मूल अधिनियम के अनुसार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को SHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।	• इस संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि SHRC के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा।
पदावधि (Term of office)	• मूल अधिनियम के अनुसार, NHRC और SHRC के अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। • इसके अतिरिक्त, मूल अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि, NHRC और SHRC के सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पुन: नियुक्ति किया जा सकता है।	• संशोधित अधिनियम के अनुसार, कार्यकाल की अवधि को कम करके **तीन वर्ष** या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कर दी गई है। • संशोधित अधिनियम के द्वारा **पांच वर्ष की अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।**
केंद्र शासित प्रदेश		इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक SHRC के मानवाधिकार संबंधी कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। दिल्ली के मामले में मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों का निपटारा NHRC द्वारा किया जाएगा।

6.3. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

{The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा द्वारा **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** पारित किया गया, जो **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956** को प्रतिस्थापित करेगा।

जल से संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 262 (1):** संसद, विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के या उसके जल प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकती है।
- **अनुच्छेद 262 (2):** संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 262 के तहत, निम्नलिखित दो अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं:
 - **नदी बोर्ड अधिनियम 1956:** इसे इस आधार पर अधिनियमित किया गया था कि केंद्र को लोक हित में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास को नियंत्रित करना चाहिए। हालांकि, अब तक एक भी नदी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

VISION IAS

- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम):** यह अधिनियम ऐसे विवादों के समाधान हेतु अधिकरणों का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। यह ऐसे विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी इससे पृथक करता है।

- **अनुच्छेद 262** के बावजूद, जल विवादों का न्याय निर्णयन करना उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, बशर्ते कि पक्षकार द्वारा पहले जल अधिकरण के समक्ष अपील की गई हो और तत्पश्चात यदि उन्हें प्रतीत होता है कि निर्णय संतोषजनक नहीं है तो उनके द्वारा **अनुच्छेद 136** के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
 - यह अनुच्छेद भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित आदेश, डिक्री या निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 के मुख्य प्रावधान:

- **विवाद समाधान समिति (Disputes Resolution Committee: DRC):** केंद्र सरकार द्वारा विवादों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व DRC की स्थापना की जाएगी। इस समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विवादों को एक वर्ष (हालांकि, इस अवधि को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर वार्ता के माध्यम से हल करे और इस संबंध में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
- **एकल अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। सभी मौजूदा अधिकरणों को भंग कर दिया जाएगा तथा ऐसे मौजूदा अधिकरणों के समक्ष लंबित जल विवादों को नए अधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **अधिकरण को निर्णय लेने के लिए प्रदत्त समय (Timeline):** प्रस्तावित अधिकरण को दो वर्ष के भीतर विवाद पर अपना निर्णय देना होगा। इस अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- **अधिकरण का निर्णय:** अधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- **डाटा संग्रह और डेटाबैंक का रखरखाव:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और अधिकृत एक एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक नदी बेसिन से संबंधित डाटा का संग्रह और डेटाबैंक का रखरखाव किया जाएगा।

6.4. माध्यस्थम् अधिनियम (Arbitration Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम** {New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Act} तथा **माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम** {Arbitration and Conciliation (Amendment) Act} पारित किया गया।

NDIAC अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में **अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (International Centre for Alternative Dispute Resolution: ICADR)** के स्थान पर, NDIAC की परिकल्पना करता है।
 - ICADR को मई 1995 में **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)** सुविधाओं के प्रचार और विकास के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- यह पेशेवर, लागत प्रभावी और समयबद्ध ढंग से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम् (arbitration), मध्यस्थता (mediation) और सुलह (conciliation) की कार्यवाही आयोजित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा माध्यस्थम के मामले में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
- इस केंद्र (NDIAC) के अन्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - एक चैंबर ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से मान्यता प्राप्त माध्यस्थों (arbitrators), सुलहकर्ताओं (conciliators) और मध्यस्थों (mediators) का **पैनल** को बनाए रखना।
 - माध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए एक **आर्बिट्रेटर अकादमी** की स्थापना करना।
 - वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में **अध्ययन एवं सुधार को बढ़ावा देना।**

VISION IAS

- वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में

- इसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् से निपटने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है।
- इसके तहत, **भारतीय माध्यस्थम् परिषद (Arbitration Council of India: ACI)** नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी। इस निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगे:
 - वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना;
 - माध्यस्थ संस्थानों (arbitral institutions) की ग्रेडिंग और माध्यस्थों (arbitrators) को मान्यता प्रदान करने हेतु नीतियां बनाना;
 - भारत और विदेशों में हुए माध्यस्थ निर्णयों की एक डिपॉजिटरी का निर्माण करना; तथा
 - सभी वैकल्पिक विवाद निवारण मामलों के लिए समान पेशेवर मानकों को बनाए रखना।
- **माध्यस्थों की नियुक्ति** अब उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित माध्यस्थ संस्थानों द्वारा की जाएगी, जो पहले पक्षकारों द्वारा स्वयं की जाती थी।
- यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम (international commercial arbitrations) के लिए **समय प्रतिबंध को समाप्त करने** का प्रयास करता है। इसमें यह उल्लेख है कि अधिकरणों को 12 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
- माध्यस्थों की नियुक्ति के छह माह के भीतर **लिखित प्रस्तुतियों (written submissions) को पूर्ण कर** लिया जाना चाहिए। इससे पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

माध्यस्थम् (Arbitration)

- यह अदालती कार्रवाई की शरण लिए बिना एक तटस्थ तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) द्वारा किसी अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षों के मध्य विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) का एक तरीका है। **अन्य तरीकों** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतें।
- यह अदालतों की तुलना में गोपनीय, तीव्र और सस्ता होता है।
- इनके निर्णय (अर्थात् माध्यस्थम् निर्णय) बाध्यकारी और अदालतों के माध्यम से प्रवर्तनीय होते हैं।

संबंधित तथ्य: माध्यस्थम पंचाट (award) को चुनौती

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालयों को माध्यस्थम पंचाटों में अनौपचारिक रीति से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उनका निष्कर्ष यह हो कि पंचाट में न केवल तर्क का अभाव है, बल्कि वह पूर्णतया अस्वीकार्य तर्क पर कार्य कर रहा है।
- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की **धारा 34**, यह प्रावधान करती है कि माध्यस्थम् पंचाट को केवल न्यायालय में आवेदन करके ही अपास्त (रद्द) किया जा सकता है।
- माध्यस्थम् अधिनियम की **धारा 34(4)** माध्यस्थम अधिकरण को स्वयं के द्वारा पंचाटों में त्रुटियों के निवारण का अवसर प्रदान करती है।

6.5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

(National Population Register)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा देश भर में नागरिकों के पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर के प्रवर्तन का आधार तैयार करने के लिए सितम्बर 2020 तक एक **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)** निर्मित करने का निर्णय लिया गया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- हालांकि, वर्ष 2016 में सरकारी लाभों के अंतरण हेतु प्रमुख साधन के रूप में **सरकार द्वारा आधार (Aadhaar) का चयन किया गया था,** जबकि NPR की धीमी प्रगति के कारण NPR के प्रवर्तन को रोक दिया गया था।
- **RGI द्वारा अगस्त 2019 में जारी अधिसूचना** के माध्यम से इस योजना को अब पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही, अतिरिक्त आंकड़ों के साथ NPR-2015 को अद्यतित करने का कार्य आरम्भ किया गया है, जिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

NPR में संगृहीत डेटा

- NPR में **जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक दोनों प्रकार के डेटा** का संग्रहण किया जाएगा।
- **जनसांख्यिकीय आकड़ों** की 15 विभिन्न श्रेणियां होंगी, जो नाम, जन्मस्थान, शिक्षा व व्यवसाय आदि अनेक आधारों पर भिन्न होंगी।
- **बायोमेट्रिक डेटा** हेतु यह 'आधार' पर निर्भर होगा, जिसके लिए निवासियों के 'आधार विवरण' का उपयोग किया जाएगा।
- यह **जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अद्यतित** करने का कार्य कर रहा है।
- यद्यपि, NPR में पंजीकरण कराना **अनिवार्य** है, तथापि **PAN, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान-पत्र** जैसे अतिरिक्त आंकड़ों का समावेशन **स्वैच्छिक** है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के बारे में

- कारगिल युद्ध के पश्चात् एक मंत्रियों का समूह (Group of Ministers: GoMs) गठित किया गया था, जिसने नागरिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन को सुविधाजनक बनाने तथा अवैध प्रवास को नियंत्रित करने हेतु **भारत के सभी निवासियों के अनिवार्य पंजीकरण की अनुशंसा की थी।**
 - इसके द्वारा यह अनुशंसा की गयी थी कि सभी **भारतीय नागरिकों** को एक **बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (Multi-Purpose National Identity Card: MPNIC)** प्रदान किया जाना चाहिए तथा **गैर-नागरिकों** हेतु विभिन्न रंगों एवं डिजाईन के पहचान-पत्र जारी किए जाने चाहिए।
- **वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान गणना हेतु वर्ष 2010 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री के लिए आंकड़ों का संग्रहण किया था।**
 - **वर्ष 2015** में इन आंकड़ों को घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण के माध्यम से अद्यतित किया गया था।
- NPR **"देश के सामान्य निवासियों" की एक सूची** है।
 - गृह मंत्रालय के अनुसार "देश का सामान्य निवासी" वह व्यक्ति है, जो **कम से कम विगत छह माह से एक स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तथा आगामी छह माह हेतु एक विशेष स्थान पर रहने का इच्छुक है।**
- NPR को **नागरिकता अधिनियम, 1955** तथा **नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003** के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955** को वर्ष 2004 में संशोधित करते हुए इसमें धारा 14A को समाविष्ट किया गया था, जो निम्नलिखित हेतु प्रावधान करती है:
 - केंद्र सरकार **अनिवार्यत: भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है तथा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी कर सकती है।**
 - केंद्र सरकार **भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens: NRIC)** बना सकती है तथा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण (National Registration Authority) स्थापित कर सकती है।
 - **निवासियों** के सार्वभौमिक आंकड़ों को संग्रहित करने के पश्चात् नागरिकता का उचित सत्यापन किया जाएगा, तत्पश्चात उसमें से **नागरिकों** के उप-समुच्चय को निर्धारित किया जाएगा। इसलिए, **सभी सामान्य निवासियों** हेतु NPR में पंजीकरण करवाना **अनिवार्य** है।
- NPR का स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संचालन किया जाएगा।
- इसे **गृह मंत्रालय के अंतर्गत RGI के कार्यालय द्वारा जनगणना 2021** के प्रथम चरण के साथ संयोजन में संचालित किया जाएगा।

VISION IAS

- हाल ही में पूर्ण हुए NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) को ध्यान में रखते हुए केवल **असम को NPR में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**

- NPR में पंजीकृत **18 वर्ष के आयु वर्ग** के सभी सामान्य निवासियों हेतु **निवास पहचान-पत्र जारी किए जाने का प्रावधान** भी किया गया है।

NPR बनाम आधार

NPR में संग्रहित आंकड़ों को दोहराव से संरक्षित करने तथा आधार संख्या जारी करने हेतु UIDAI को प्रेषित किया जाएगा।

- **स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य:** सभी भारतीय निवासियों को NPR में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जबकि UIDAI में पंजीकरण करवाना स्वैच्छिक है।
- **संख्या बनाम रजिस्टर:** UIDAI एक संख्या जारी करता है जबकि NPR नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का सूचक है। इस प्रकार यह केवल एक रजिस्टर है।
- **प्रमाणीकरण बनाम पहचान निर्धारण:** आधार संख्या, इस कार्य-कलाप के दौरान एक प्रमाणकर्त्ता (authenticator) के रूप में कार्य करेगा। इसे किसी भी मंच द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है तथा अनिवार्य बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय निवासी कार्ड (National Resident Card) वस्तुत: निवासी की स्थिति और नागरिकता का द्योतक होगा। यह अस्पष्ट है कि किन परिस्थितियों में इस कार्ड का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **UIDAI बनाम RGI:** UIDAI विशिष्ट पहचान योजना में व्यक्तियों को नामांकित करने हेतु उत्तरदायी है तथा RGI व्यक्तियों को NPR में सूचीबद्ध करने हेतु अधिदेशित है।
- **घर-घर जाकर नामांकन करना बनाम किसी केंद्र पर नामांकन करवाना (Door to door canvassing vs. center enrollment):** UID में पंजीकरण हेतु व्यक्तियों को एक नामांकन केंद्र में जाना होता है जबकि NPR के तहत घर-घर जाकर निवासियों का पंजीकरण किया जाएगा।
- **अग्रिम दस्तावेजीकरण बनाम जनगणना सामग्री:** UID दस्तावेजीकरण और पहचान-निर्धारण के अग्रिम रूपों पर आधारित है जबकि NPR जनगणना द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित होगा।

संबंधित तथ्य: मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 को स्वीकृति प्रदान की

- **जनगणना अधिनियम, 1948** और **जनगणना नियम, 1990** जनगणना को संचालित करने हेतु विधिक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- जनगणना 2021 देश की 16वीं जनगणना होगी। वर्तमान में प्रचलित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1872 ई. में ब्रिटिश वायसराय **लॉर्ड मेयो** के दौरान की गई थी।
- **जनगणना 2021 हेतु निम्नलिखित नई पहलें आरम्भ की गई हैं:**
 - आंकड़ों के संकलन हेतु प्रथम बार **मोबाइल ऐप का उपयोग।**
 - जनसंख्या गणना चरण के दौरान जनता के लिए **ऑनलाइन स्व-गणना** की सुविधा।
 - जनगणना गतिविधियों में सम्मिलित सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों को विभिन्न भाषाओं में सहायता प्रदान करने हेतु एकल स्रोत के रूप में **जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल।**

NPR से जनगणना किस प्रकार भिन्न है?

- हालांकि, जनगणना एक वृहद् कार्य है, किंतु इसमें व्यक्तिगत पहचान संबंधी विवरणों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, NPR, प्रत्येक व्यक्ति के पहचान संबंधी विवरण को संग्रहित करने हेतु अभिकल्पित है।
- जनगणना संबंधी आंकड़े गोपनीयता खंड द्वारा संरक्षित होते हैं। सरकार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह व्यक्तियों की कुल गणना (headcount) हेतु एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना को प्रकट नहीं करेगी।

VISION IAS

6.5.1. राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

(Nationwide NRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) को लागू करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

NRC के बारे में

- NRC वस्तुतः देश के सभी वैध नागरिकों (आवश्यक दस्तावेज धारक) की एक सूची होती है।
- इससे पूर्व, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, सरकार द्वारा **असम** में NRC को अपडेट करने का कार्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 19 लाख से अधिक आवेदक NRC की सूची में स्थान प्राप्त करने में असफल रहे थे। (बॉक्स देखें)

नागरिकता के निर्धारण के लिए मानदंड

- नागरिकता अधिनियम, 1955 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात् परंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व जन्मा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा।
- भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात् परंतु 3 दिसम्बर 2004 {नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने की तिथि} से पूर्व जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात् भारत में हुआ है, तो वह उसी दशा में जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके माता-पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों अथवा माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
 - इसका एकमात्र अपवाद असम था, जहाँ वर्ष **1985 के असम समझौते (Assam Accord)** के अनुसार 24 मार्च 1971 से पूर्व तक राज्य में आए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के रूप में नियमित (वैध) किया जाना था।
 - इस संदर्भ में, केवल असम में 24 मार्च 1971 तक प्रवेश कर चुके विदेशियों की नागरिकता को नियमित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
 - देश के शेष भागों के संदर्भ में मौजूदा प्रावधान यह है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात् देश के बाहर जन्म लेने वाले और उचित दस्तावेज़ों के बिना भारत में रहने वाले व्यक्तियों को विदेशी व अवैध प्रवासी माना जाएगा।

- NRC का मूल **असम स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन** और **भारत सरकार** के मध्य वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित **समझौता ज्ञापन (Memorandum of Settlement)** अथवा **असम समझौते (Assam Accord)** में निहित है। यह समझौता 1980 के दशक के प्रवासी विरोधी हिंसक आंदोलन का परिणाम था तथा इसमें अवैध प्रवास (illegal migration) को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न खंडों का समावेश किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि **असम समझौते** के पश्चात् 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु **नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** किया गया था।
- इसमें यह प्रावधान शामिल था कि उन सभी "विदेशियों" की पहचान की जाएगी, जिन्होंने 25 मार्च 1971 के पश्चात् असम में प्रवेश किया है तथा तत्पश्चात उन्हें **अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983** {Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983 (IMDT)} के तहत पता लगाकर निर्वासित किया जाएगा। इसमें निर्वाचक नामावली से विदेशियों के नामों को हटाने का भी उपबंध किया गया है।
- **असम में NRC को असम समझौते (Assam Accord) के अनुसार अपडेट किया गया था।**

VISION IAS

NRC सूची में नाम दर्ज करवाने में विफल लोगों हेतु प्रावधान

- असम सरकार ने NRC सूची में नाम दर्ज करवाने से चूक गए लोगों को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से "विदेशी" अथवा "अवैध प्रवासी" घोषित **नहीं** किया जाएगा।
- ऐसे लोगों को **विदेशी विषयक अधिकरण** के समक्ष अपने पक्ष को रखने (अर्थात् विरोध दर्ज कराने) की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वे इस मामले में उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।
- राज्य सरकार NRC सूची से वंचित **निर्धन लोगों** को **विधिक सहायता** भी प्रदान करेगी।
- **विदेशी विषयक अधिनियम, 1946** के अंतर्गत, कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत आवेदक पर निर्भर करता है न कि राज्य पर। इसके अतिरिक्त, यह भी ज्ञात नहीं हैं कि इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार संपादित किया जाएगा।
- **D-मतदाता** वे मतदाता होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण-पत्रों के कथित अभाव के आधार पर मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है तथा उनका समावेशन **विदेशी विषयक अधिकरण (Foreigners Tribunal)** के निर्णय पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण (Foreigners tribunals) स्थापित करने हेतु सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जिला अधिकारियों को सशक्त करने हेतु विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 को संशोधित किया गया।

विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरणों के बारे में

- इनकी स्थापना विदेशी नागरिक अधिनियम,1946 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के माध्यम से की गयी थी।
- इनकी स्थापना यह निर्धारित करने के लिए की गयी थी कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी नागरिक अधिनियम के अनुसार एक विदेशी नागरिक है अथवा नहीं।

हाल ही में संशोधित आदेश न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनलों) में पहुंच हेतु व्यक्तियों को भी सशक्त बनाता है। पूर्व में केवल राज्य सरकारें ही किसी संदेहास्पद स्थिति के विरुद्ध न्यायाधिकरण जा सकती थीं।

6.5.2. नागरिकता संशोधन अधिनियम

(Citizenship Amendment Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019** अधिनियमित किया गया, जिसके माध्यम से **नागरिकता अधिनियम, 1955** में संशोधन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 11** संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई भी उपबंध करने हेतु सशक्त करता है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 में प्रावधान किया गया था कि **"अवैध प्रवासी"** पंजीकरण या देशीयकरण, दोनों के माध्यम से नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र **नहीं** होंगे।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(b) अवैध प्रवासी को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करती है, जो:
 - पासपोर्ट एवं वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है; अथवा

VISION IAS

- वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करता है, लेकिन भारत में उस समयावधि से अतिरिक्त समय तक रहता है, जितनी अवधि के लिए उसे अनुमति प्रदान की गई थी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act: CAA), 2019 के प्रमुख प्रावधान

- इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अवैध प्रवासियों को इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा:
 - यदि वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से हैं;
 - यदि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से संबंधित हैं;
- यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है तथा वे संविधान की **छठी अनुसूची** में सम्मिलित कुछ जनजातीय क्षेत्रों (असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा) या **'इनर लाइन परमिट'** के तहत आने वाले क्षेत्रों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड) में नहीं रह रहे हों।
 - इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलांग (असम), गारो हिल्स (मेघालय), चकमा जिला (मिजोरम) और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला शामिल हैं।
- अवैध प्रवासन या नागरिकता के संबंध में प्रवासियों की इन श्रेणियों के विरुद्ध सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी।
- प्रवासियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए देशीयकरण की अवधि **11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दी गई है।
- 1955 का अधिनियम एक व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता अर्जन के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करता है:
 - यदि वह भारत में रह रहा हो या विगत 12 माह से भारत सरकार की सेवा में हो तथा विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो।
- **प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizen of India: OCI) के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आधार:** इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है, यदि OCI कार्डधारक नागरिकता अधिनियम या केंद्र द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है। हालांकि, कार्डधारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
 - यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार OCI के पंजीकरण को अग्रलिखित पांच आधारों पर रद्द कर सकती है: (1) धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण कराना, (2) भारत के संविधान के प्रति अनादर या असंतुष्टि प्रकट करना, (3) युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संबंध, (4) भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर, या (5) यदि पंजीकरण के पांच वर्ष के भीतर OCI कार्डधारक को दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा मिलती है।

नागरिकता अधिनियम,1955

- यह भारत में **जन्म, अवजनन, रजिस्ट्रीकरण, देशीयकरण एवं राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र समाविष्ट होने** के आधार पर नागरिकता अर्जित करने का प्रावधान करता है।
- अधिनियम, **अवैध प्रवासियों को** भारतीय नागरिकता अर्जित करने से प्रतिबंधित करता है। यह अवैध प्रवासियों को ऐसे विदेशी नागरिकों के रूप में परिभाषित करता है (i) जिन्होंने वैध पासपोर्ट के बिना या यात्रा दस्तावेज (travel documents) के बिना भारत में प्रवेश किया हो,अथवा (ii) अनुमति समय (permitted time) से अधिक समय तक निवास किया हो।

6.6. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम

{Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" में सरकार द्वारा किए गए **संशोधनों को बरकरार रखा** है।

VISION IAS

निम्नलिखित संशोधन किए गए थे:

- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत **अग्रिम जमानत पर रोक।**
- **प्रारंभिक जांच करने और अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं** को अप्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम में एक नई धारा 18A अंतःस्थापित की गई।
- यह भी प्रावधान किया गया है कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में, **इस अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का ही अनुपालन किया जाएगा।**
- उच्चतम न्यायालय ने **सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद** में "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" के कुछ प्रावधानों के **दुरुपयोग को रोकने हेतु**, इस अधिनियम को प्रभावहीन बना दिया था।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- वर्ष 1955 में, SC एवं ST समुदाय के लोगों के मौलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act)** को अधिनियमित किया गया था। इसके बावजूद भी उनके विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएँ जारी रहीं। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा वर्ष 1989 में एक सशक्त अत्याचार निवारण अधिनियम (PoA Act) अधिनियमित किया गया।
- इस अधिनियम के तहत SC/ST के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा **SC/ST समुदाय के लोगों के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचार संबंधी अपराधों को रोकने** के प्रावधान किए गए हैं।
- यह **अस्पृश्यता के अंत (अनुच्छेद 17)** और **समता के अधिकार (अनुच्छेद 14, 15)** को प्रोत्साहित करता है।
- यह ऐसे अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए **विशेष न्यायालयों की स्थापना** का प्रावधान करता है।
- यह केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु **नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।**
- इस अधिनियम के तहत SC और ST समुदाय के लोगों के आत्म-सम्मान को क्षति पहुँचाने; उन्हें आर्थिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित करने तथा भेदभाव, उत्पीड़न व विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग आदि से संबंधित अपराधों को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कृत्यों से संबंधित **22 अपराधों को सूचीबद्ध** किया गया है।
- इस अधिनियम को **संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है,** जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस अधिनियम में **वर्ष 2016 में संशोधन** किया गया था, जिसके तहत जूतों की माला पहनाना आदि जैसे अन्य अत्याचारपूर्ण कृत्यों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त इस संशोधन के माध्यम से 'पीड़ितों और गवाहों' के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, लोक सेवकों द्वारा 'जानबूझकर की गई लापरवाही' को परिभाषित किया गया तथा संभावित अपराधों को समाविष्ट करने जैसे अन्य प्रावधान समाविष्ट किए गए।

6.7. आधार रिपोर्ट

(Aadhar Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आधार के लागू होने के दसवें वर्ष पर, एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म **डालबर्ग** द्वारा **"स्टेट ऑफ़ आधार: ए पीपल्स पर्सपेक्टिव"** नामक रिपोर्ट जारी की गई है।

आधार के बारे में

- **आधार** भारत के सभी निवासियों के लिए **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** द्वारा जारी **12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या** है।

VISION IAS

- आधार अधिनियम, 2016 {आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016} के प्रावधानों के तहत स्थापित UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। UIDAI, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत कार्य करता है।
- आधार में बायोमेट्रिक डेटा के साथ **चार प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी**, यथा- नाम, आयु, लिंग और पता को समाविष्ट किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, आधार में **वर्चुअल आई.डी.** जैसी नई विशेषताओं को शामिल किया गया है जो व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने में सहायता करती है।
- आधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कल्याणकारी सेवाओं पर निर्भर देश के बहुसंख्यक निवासियों को कुशल, पारदर्शी और लक्षित तरीके से सेवा वितरण करने हेतु राज्य की क्षमता में सुधार करना रहा है।

अन्य निष्कर्ष

- 95% वयस्कों और 75% बच्चों के पास आधार है।
- 8% लोगों (अनुमानित 102 मिलियन लोग) के पास आधार नहीं है।
- 80% लाभार्थियों का मानना है कि आधार ने PDS राशन, मनरेगा तथा सामाजिक पेंशन को और अधिक विश्वसनीय बना दिया है।

6.7.1 आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019

{Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019}

सुर्खियों में क्यों?

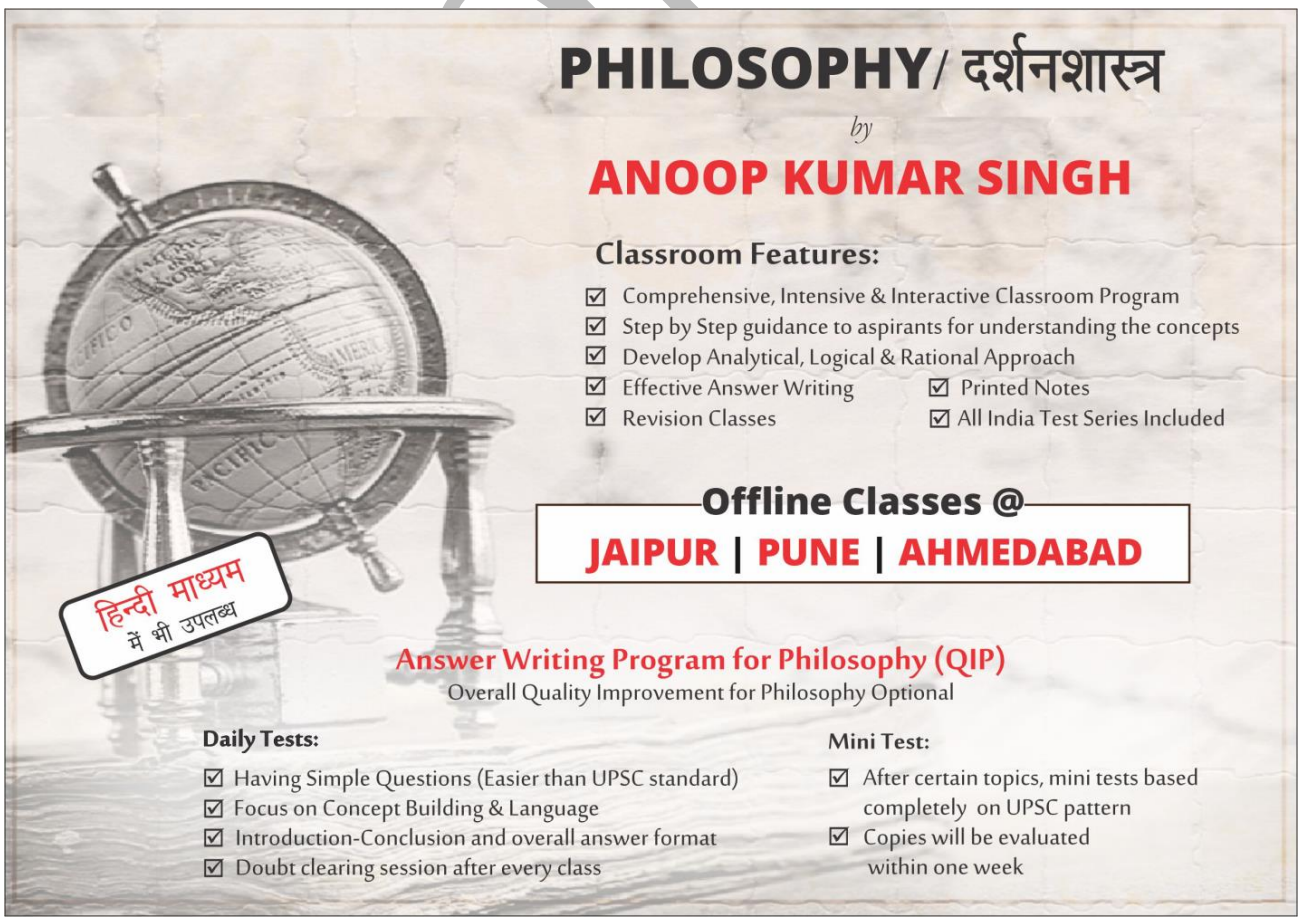
आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 को मार्च 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया था।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- **आधार संख्या धारकों का ऑफलाइन सत्यापन:** यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UFDAI) द्वारा विनियमों के तहत निर्दिष्ट विधियों के माध्यम से **प्रमाणीकरण के बिना, किसी व्यक्ति की पहचान के ऑफ़लाइन सत्यापन की अनुमति प्रदान करता है।**
- **स्वैच्छिक उपयोग:** एक व्यक्ति **स्वेच्छा से** प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से **अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है।** किसी भी सेवा के प्रावधान हेतु आधार के तहत किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण, **केवल संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन ही अनिवार्य बनाया जा सकता है।**
- **यह टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है।** इसके अनुसार टेलीकॉम कंपनियां, बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान को निम्नलिखित के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं: (i) आधार का प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन, (ii) पासपोर्ट या (iii) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज़।
 - **व्यक्ति के पास** अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए किसी भी विधि का उपयोग करने का विकल्प होगा और किसी भी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं होने पर उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **आधार का उपयोग करने वाली संस्थाएं:** एक संस्था को आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, यदि UIDAI इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि वह संस्था: (i) गोपनीयता और सुरक्षा के कुछ मानकों का अनुपालन करती है या (ii) उसे कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है या (iii) राज्य के हित में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के प्रमाणीकरण हेतु प्रयास कर रही है।
- **बच्चों के आधार नंबर:** आधार नंबर प्राप्त करने हेतु किसी बच्चे का नामांकन करते समय, नामांकन करने वाली एजेंसी को बच्चे के **माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करनी होगी।** अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, **बच्चा अपने आधार को रद्द करने हेतु आवेदन कर सकता है।**

VISION IAS

- **कुछ मामलों में सूचना का प्रकटीकरण:** केवल उच्च न्यायालयों (या इससे ऊपर) के द्वारा आदेश हेतु प्रकटीकरण की अनुमति प्रदान करता है।
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना का प्रकटीकरण करने के लिए निर्देश सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है।**
- **UIDAI निधि:** इस अधिनियम के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि का सृजन किया गया है। **UIDAI** द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, अनुदान और प्रशुल्क इस निधि में जमा किए जाएंगे। निधि का उपयोग **UIDAI** के व्ययों (जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं) के लिए किया जाएगा।
- **शिकायतें:** यह किसी व्यक्ति को अपनी पहचान का प्रतिरूपण या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण सहित कुछ मामलों में शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह नामांकन एजेंसियों, आग्रह करने वाली एजेंसियों और ऑफ़लाइन सत्यापन हेतु प्रयासरत संस्थाओं को सम्मिलित करने हेतु **आधार पारितंत्र को परिभाषित करता है।**
- **अर्थदंड:** **UIDAI** आधार पारितंत्र में किसी संस्था के विरुद्ध शिकायत की पहल कर सकता है यदि वह संस्था (1) आधार अधिनियम या **UIDAI** के निर्देशों का पालन करने में तथा (2) UIDAI द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहती है। **दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण,** निर्णयन अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी होंगे।



7. सुर्खियों में रहें महत्वपूर्ण संवैधानिक/सांविधिक/कार्यकारी निकाय

(Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies in News)

7.1.भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(Comptroller and Auditor General of India)

Why in news?

सुर्खियों में क्यों ?

राफेल लड़ाकू विमान सौदे के सम्पादित मूल्य निर्धारण (redacted pricing) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन ने भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान की भूमिका को पुनः चर्चा में ला दिया।

प्रकाशन से पूर्व दस्तावेज़ से 'संवेदनशील सूचना को छिपाने या हटाने' के माध्यम से चयन या अनुकूलन करना ही संपादन (Redaction) है। परिणामस्वरूप, पूर्ण वाणिज्यिक विवरण नहीं दिए गए और रिपोर्ट में खरीद समझौते के आंकड़ों को काला कर दिया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गयी है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है।
- CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के माध्यम से पद त्याग कर सकता/सकती है।
- उसे राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से एवं उसी आधार पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से एवं आधार पर उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। (सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ पारित संकल्प के द्वारा)
- CAG अपना पद छोड़ने के पश्चात् भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं होता है।
- CAG के कर्यालय के प्रशासनिक व्यय ,जिसमें सभी वेतन, भत्ते एवं पेंशन सम्मिलित हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है।

कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां

- **अनुच्छेद 149** के तहत, संविधान संसद को CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। संसद द्वारा इसके लिए **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971** अधिनियमित किया गया था।
- CAG निम्नलिखित से संबंधित सभी व्यय खातों की लेखा परीक्षा करता है:
 - भारत की **संचित निधि**, भारत की **आकस्मिकता निधि** और भारत की **लोक लेखा**।
 - प्रत्येक राज्य की **संचित निधि** और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश (जिसमें विधान सभा हो) की **संचित निधि**।
 - प्रत्येक राज्य की **आकस्मिकता निधि** और प्रत्येक राज्य की **लोक लेखा**।
- CAG **केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी खातों** की लेखा परीक्षा करता है।

VISION IAS

- CAG निम्नलिखित से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है:
 - केंद्र या राज्यों से उल्लेखनीय मात्रा में **अनुदान प्राप्त करने वाले** सभी निकाय और प्राधिकरण;
 - **सरकारी कंपनियाँ**; तथा
 - **जब सम्बद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो**, अन्य निगमों या निकायों की लेखा परीक्षा।
- CAG द्वारा राष्ट्रपति को **तीन लेखा परीक्षा रिपोर्टें** सौंपी जाती हैं:
 - विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
 - वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
 - सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इसके पश्चात्, लोक लेखा समिति उनकी जांच करती है और संसद को अपने निष्कर्षों के संबंध में रिपोर्ट प्रदान करती है।

- CAG संसद की **लोक लेखा समिति** के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।

7.2. लोकपाल

(Lokpal)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में RTI के माध्यम से यह प्रकट हुआ है कि लोकपाल अधिनियम के पारित होने के 5 वर्ष से अधिक समय के बाद भी लोकपाल के प्रमुख प्रावधानों का लागू नहीं किया गया है।

लोकपाल के बारे में

- वर्ष 2011 में जन लोकपाल विधेयक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के साथ-साथ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया गया था।
- **संरचना:** लोकपाल में **एक अध्यक्ष** और **अधिकतम आठ सदस्य होंगे,** जिनमें से 50% सदस्यों का चयन न्यायिक सेवा और 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के मध्य से किया जाएगा।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** यह दो चरणों वाली प्रक्रिया है।
 - **खोज समिति (search committee),** जो उच्च-अधिकार प्राप्त चयन समिति को नामों के एक पैनल की अनुशंसा करती है।
 - **चयन समिति (selection committee)** में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश) और एक प्रख्यात न्यायविद (पैनल के अन्य सदस्यों की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नामित) शामिल हैं।
 - राष्ट्रपति अनुशंसित नामों की नियुक्ति करेगा।
- **अधिकारिता (क्षेत्राधिकार):** लोकपाल का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित तक विस्तारित है:
 - **वर्तमान या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों और संसद सदस्यों के साथ-साथ ग्रुप A, B, C और D सेवाओं में कार्यरत केंद्र सरकार के अधिकारी।**
 - किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, न्यास (ट्रस्ट) या स्वायत्त निकाय **(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा केंद्र द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित)** के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक।
 - **कोई भी सोसाइटी या न्यास या निकाय जो 10 लाख से अधिक का विदेशी अनुदान प्राप्त करती है।**
- **प्रधानमंत्री के लिए अपवाद**
 - यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित हैं तो इस अधिनियम के तहत जांच नहीं की जाएगी।

VISION IAS

- प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि लोकपाल की संपूर्ण पीठ जांच प्रारंभ करने पर विचार नहीं करती है और कम से कम 2/3 सदस्य इसे अनुमोदित नहीं कर देते हैं।
- प्रधानमंत्री के विरुद्ध की जाने वाली जांच (यदि संचालित की गई हो) का संचालन बंद कमरे में किया जाएगा और यदि लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत को निरस्त किया जाना चाहिए, तो जांच से संबंधित रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा अथवा किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

- लोकपाल अध्यक्ष से संबंधित **वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें** भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगी तथा अन्य सदस्यों हेतु ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी।
- **जांच खंड और अभियोजन खंड:** इस अधिनियम के तहत लोकपाल, किसी शिकायत के प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच के लिए जांच खंड और लोक सेवकों के अभियोजन के उद्देश्य से अभियोजन खंड के गठन का आदेश करेगा।
- **CBI के संबंध में शक्ति:** लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए इसे CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण करने और उन्हें निदेश देने की शक्ति प्राप्त होगी। लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों की जांच करने वाले CBI के अधिकारियों का स्थानांतरण लोकपाल की सहमति से ही किया जाएगा।
- **जाँच एवं अन्वेषण की समय-सीमा:** इस अधिनियम के अंतर्गत, **जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों की समय-सीमा और CBI द्वारा जाँच पूरी करने के लिए 6 माह का समय निर्धारित है।** 6 माह की इस अवधि को लोकपाल द्वारा CBI के एक लिखित अनुरोध पर ही बढ़ाया जा सकता है।
- **संपत्ति की जब्ती:** अधिनियम में अभियोजन के लंबित होने पर भी लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट साधनों के माध्यम से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं।
- लोकपाल के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत **लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्य या सचिव या लोकपाल के अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन** शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और लोकपाल द्वारा लिया गया कोई शुल्क या अन्य धनराशियां उस निधि का ही भाग होंगी।
- **लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना या निलंबन:** अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति के आदेश से पदमुक्त किया जाएगा। इससे संबंधित याचिका को कम से कम 100 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की सुनवाई और निर्णय के लिए **विशेष न्यायालय** की स्थापना की जाएगी।

7.3. भारत के 22वें विधि आयोग का गठन

(22nd Law Commission of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्ष की अवधि के लिए **22वें विधि आयोग** के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

विधि आयोग के बारे में

- विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक **गैर-सांविधिक निकाय** है, जिसे **प्रत्येक तीन वर्ष** पर गठित किया जाता है।
- इसका प्रमुख कार्य विधिक सुधार हेतु सुझाव देना तथा विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करना है।
- ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1833 ई. के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 ई. में **प्रथम विधि आयोग** का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता **लॉर्ड मैकाले** ने की थी।
 - हालांकि, **स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग** का गठन **वर्ष 1955** में हुआ था तथा **श्री एम. सी. सीतलवाड़** इसके अध्यक्ष थे।
- यह अब तक **277 रिपोर्ट्स प्रस्तुत** कर चुका है।

VISION IAS

22वें विधि आयोग के बारे में

- **संरचना:** इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - एक पूर्णकालिक अध्यक्ष (सामान्यतः सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश);
 - चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
 - पदेन सदस्य के रूप में- सचिव, विधि कार्य विभाग (Department of Legal Affairs);
 - पदेन सदस्य के रूप में- सचिव, विधायी विभाग (Legislative Department); तथा
 - पांच से अनधिक अंशकालिक सदस्य।
- **विचारार्थ विषय:** अन्य विषयों के साथ-साथ विधि आयोग के कार्य:
 - **ऐसे कानूनों की पहचान करना,** जिनकी वर्तमान में कोई आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है और जिन्हें तुरंत **निरसित** किया जा सकता हो।
 - राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आलोक में **मौजूदा क़ानूनों का परीक्षण** करना और उनमें सुधार एवं संशोधन हेतु उपायों का सुझाव देना।
 - **विधि और न्याय मंत्रालय** के माध्यम से सरकार द्वारा इसे विशिष्टतया संदर्भित विधियों एवं न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर सरकार को अपनी अनुशंसाएं एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

7.4. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

(Central Vigilance Commissioner)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) का चयन किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC) के बारे में

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निवारण हेतु स्थापित एक प्रमुख संस्था है।
- **वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार निवारण हेतु गठित संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश** पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक **कार्यकारी प्रस्ताव** के अंतर्गत CVC की स्थापना की गई थी। वर्ष 2003 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- CVC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा दो से अनधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं।
- इनकी नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा एक **तीन सदस्यीय समिति** की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें **अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री** और अन्य सदस्य **लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री** होते हैं।
- इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- अपने कार्यकाल के पश्चात वे **केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद को धारण करने के पात्र नहीं** होते हैं।
- राष्ट्रपति, कुछ विशेष परिस्थितियों में CVC को उसके पद से हटा सकते हैं।
- इनका वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें, **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों के समान** होती हैं। जिनमें सेवा के दौरान किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

7.5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

(National Crime Records Bureau)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau: NCRB) द्वारा वर्ष 2017 के लिए अपराध डेटा जारी किया गया।

VISION IAS

NCRB के संबंध में:

- NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित **सूचनाओं के संग्राहक (repository)** के रूप में कार्य करने हेतु की गई ताकि अपराध से अपराधियों का सम्बन्ध जोड़ने में जाँचकर्ताओं की सहायता की जा सके।
- यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (1985) की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
- यह विदेशी अपराधियों के **फिंगरप्रिंट (fingerprint - FP)** रिकॉर्ड सहित दोष-सिद्ध व्यक्तियों के **फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय संग्राहक** के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत के **कारागार संबंधी आंकड़े** भी जारी करता है।

कुछ रुझान

- वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है।
- वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में साइबर अपराध में 77% की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के मध्य कारागारों की संख्या में कमी आई है।
- जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या, **उत्तर प्रदेश** के कारागार में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त हैं।
- वर्ष 2015-17 के दौरान विचारणाधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

7.6. महालेखा नियंत्रक

(Controller General of Accounts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नए महालेखा नियंत्रक (Controller General of Accounts: CGA) को नियुक्त किया गया है।

CGA से संबंधित तथ्य

- **CGA वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।**
- **यह केंद्र सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है।**
- यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह अपने अधिदेश और शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर करता है।
- अनुच्छेद 150 में वर्णित किया गया है कि संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर विहित करे।
- भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम 1961 के तहत CGA के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - यह केंद्रीय मंत्रालयों में भुगतान, प्राप्तियों और लेखांकन की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है।
 - केंद्र सरकार के मासिक और वार्षिक लेखों को तैयार, समेकित और प्रस्तुत करता है।
 - यह लेखांकन के अपेक्षित तकनीकी मानकों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।
 - यह लोक लेखा समिति और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में निहित समन्वय और सिफारिशों पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी प्रगति की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
- CGA समूह A (भारतीय लोक लेखा सेवा) और समूह B (केंद्रीय लोक लेखा कार्यालयों) के अधिकारियों का कैडर प्रबंधन करता है।

7.7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

(Competition Commission of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2019 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

VISION IAS

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- यह एक सांविधिक निकाय है इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
- आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
 - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना।
 - बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा इसे बनाए रखना।
 - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
 - भारतीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 उपबंधित करता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में एक अध्यक्ष तथा दो से कम अथवा छः से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- आयोग को नियामकीय तथा अर्द्ध -न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते (anti-competitive agreement) के संबंध में जांच करने के लिए स्वतः संज्ञान (suo-moto) की शक्ति भी प्रदान की गई है।
- आयोग, प्रतिस्पर्धा नीतियों से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को अपनी राय देता है, लेकिन ऐसी राय केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।

VISION IAS

8. शासन के महत्वपूर्ण पहलू

(Important Aspects of Governance)

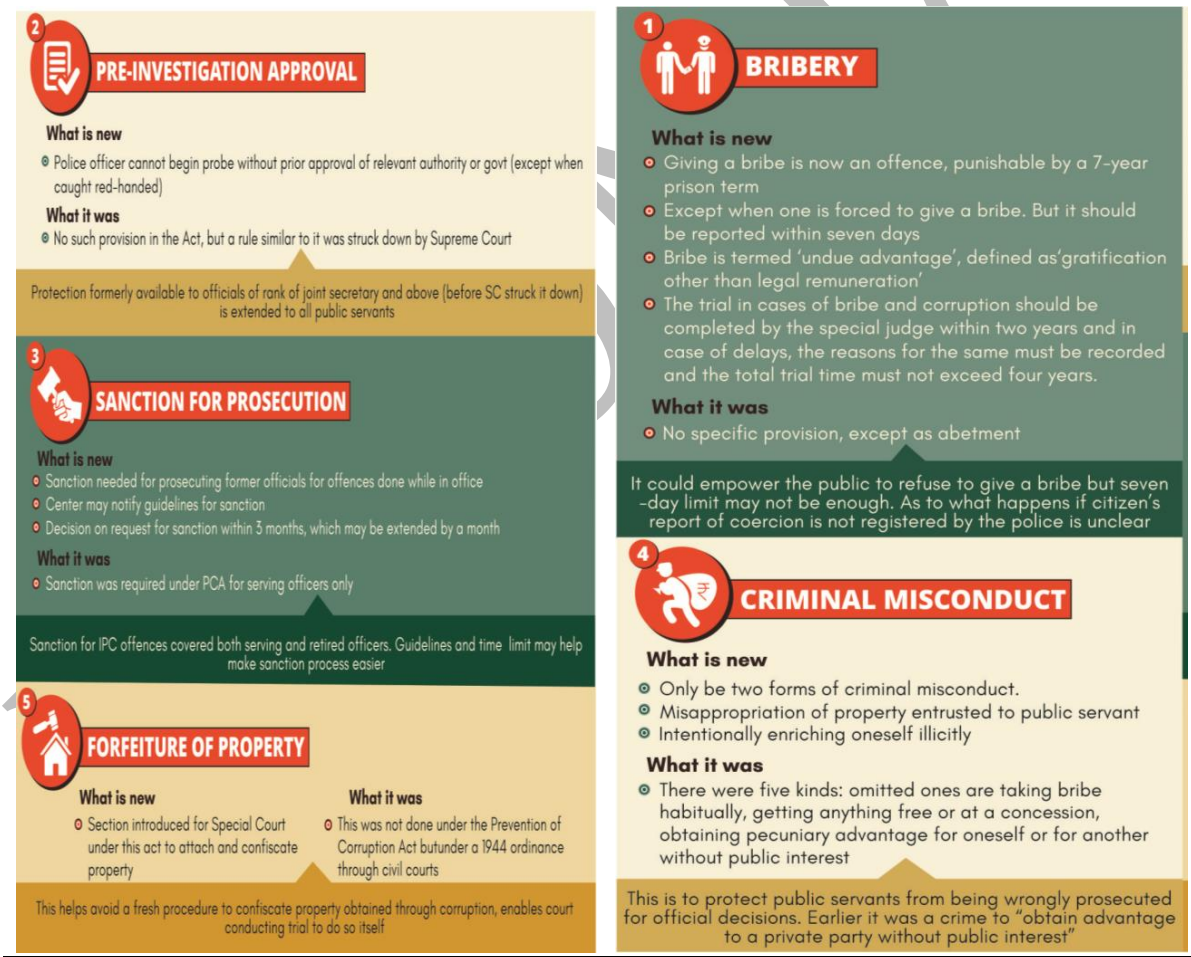
8.1. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018

(Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (जिसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को प्रतिस्थापित किया है) के तहत दिशानिर्देश जारी किए।
- दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकरण (कोई भी केंद्रीय सरकारी विभाग) और CVC के बीच असहमति के मामले में, उसे अंतिम सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले DOPT को भेजा जाएगा।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के मुख्य प्रावधान



भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- इस अधिनियम के अंतर्गत, सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला और सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी विभाग, कंपनियों या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी भी उपक्रम में कार्यरत किसी व्यक्ति को **'लोक सेवक'** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस अधिनियम में **साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है।**

Understand or Download Clean watermark free Material for UPSC IAS Exam: iasrank.com

- **सांसदों और विधायकों** को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।
- यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे **कारावास की सजा, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी और जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान किया गया है।**
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन **विशेष न्यायाधीशों** को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।

8.2. भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता

(IPC and CrPC)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को **भारतीय दंड संहिता (IPC)** तथा **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)** का व्यापक कायापलट करने **व पुनर्निर्माण करने** के लिए सुझाव प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया है।

IPC तथा CrPC के विषय में

- भारतीय दंड संहिता (IPC) अपराध की परिभाषा निर्धारित करती है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), आपराधिक जांच प्रक्रिया के बारे में सूचित करती है।
- **भारतीय दंड संहिता:** यह भारत की आधिकारिक दंड संहिता है।
 - यह एक वृहद संहिता है जो आपराधिक कानून के सभी मूल **पहलुओं** को समाहित करती है।
 - संहिता का प्रारूप 1860 ई. में **भारत के प्रथम विधि आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर** तैयार किया गया था।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)** भारत में मूल आपराधिक क़ानूनों के प्रशासन के लिए **सर्वप्रमुख प्रक्रियात्मक** विधि है।
 - इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था, यद्यपि इसे प्रारंभिक रूप से 1882 ई.में निर्मित किया गया था।
 - यह अपराध की जांच, संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी, साक्ष्य एकत्रित करने, अभियुक्त व्यक्ति के अपराध अथवा निरपराधता के निर्धारण तथा **दोषियों की सजा के निर्धारण के लिए** एक व्यवस्था प्रदान करती है।
- **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development: BPRD)**, **IPC**, **CrPC**, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम आदि क़ानूनों की समीक्षा करेगा।
 - BPRD की स्थापना वर्ष 1970 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत **पुलिस बलों के आधुनिकीकरण** के लिए सरकार के उद्देश्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु की गई थी।

8.3. इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क

(India Enterprise Architecture Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (National Conference on e-Governance: NCeG) में **ई-गवर्नेंस पर शिलांग घोषणा-पत्र** को अपनाया गया। इस घोषणा-पत्र में **इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA)** के विषय में उल्लेख किया गया है।

इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है?

- IndEA वस्तुतः एक **समग्र संरचना के विकास के लिए एक ढांचा** है। इसके तहत सरकार को कार्यात्मक रूप से अंतर-संबंधित उद्यमों के एक एकल उद्यम के रूप में स्वीकार किया गया है।
- IndEA एक **व्यापक ढांचा उपलब्ध कराता है**, जिसमें संरचना संदर्भ प्रतिमानों (architecture reference models) का एक समुच्चय शामिल है तथा जिसे एक एकीकृत संरचना में परिवर्तित किया जा सकता है।
- IndEA के तहत, **प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकल व्यक्तिगत अकाउंट होगा** और वह उस अकाउंट से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। यह सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न साइटों पर जाने और उन पर अलग-अलग लॉग इन करने की आवश्यकता को समाप्त करेगा।

VISION IAS

8.4. ई-गवर्नेंस पहलें

(E-Governance Initiatives)

पहल	विशेषताएं
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)	• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग का गठन एक स्वायत्त व्यापार प्रभाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के कार्यक्रम प्रबंधन का उत्तरदायित्व सँभालने हेतु किया गया है। • इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को उनकी ई-गवर्नेंस पहलों के प्रसार में सहायता प्रदान किए जाने की अपेक्षा है। • NeGP सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ सरकार की एक पहल है।
प्रगति (PRAGATI: प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन)	• यह एकीकृत करने वाला और परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म है। • इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जन सामान्य की शिकायतों के निवारण के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। • यह एक 3-स्तरीय प्रणाली (PMO, संघ सरकार के सचिव, और राज्यों के मुख्य सचिव) है। • इसमें तीन प्रौद्योगिकियां- डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक सम्मिलित हैं। • हाल ही में, प्रधानमंत्री ने प्रगति बैठक की अध्यक्षता की
गवर्मेंट इंस्टैंट मैसेजिंग सिस्टम (GIMS)	• यह **व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का एक भारतीय संस्करण** है, जिसका **उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों और संगठनों द्वारा अंतरा एवं अंतर-सांगठनिक संचार हेतु** किया जाएगा। • इसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा अभिकल्पित और विकसित** किया गया है। • इसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म भारत में विकसित किया गया है। इसे होस्ट करने वाला सर्वर देश के भीतर स्थापित है तथा सूचनाओं का संग्रह सरकार-आधारित क्लाउड में होगा, जो कि NIC द्वारा संचालित एक डेटा केंद्र होंगे। • इसमें सरकारी तंत्र में पदानुक्रमों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों और मीडिया को साझा करने के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
भुवन पंचायत V 3.0 (Bhuvan Panchayat V 3.0)	• इसे इसरो (ISRO) के **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र** (National Remote Sensing Centre) द्वारा विकसित किया गया है। • यह सरकारी परियोजनाओं की बेहतर नियोजन और निगरानी के लिए इसरो की SISDP (विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता) परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वेब आधारित एक जियो पोर्टल है। • यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** प्रक्रिया में **सहायता के लिए भू-स्थानिक सेवाएं** प्रदान करेगा। • यह **ग्राम पंचायत सदस्यों** और अन्य हितधारकों जैसे PRI एवं लोगों के लाभ के लिए **डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमैटिक रिपोर्ट के निर्माण**, मॉडल आधारित उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से सहायता करता है। • इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में नियोजन हेतु पहली बार एकीकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के साथ **उच्च स्तर पर एक थिमेटिक डेटाबेस** उपलब्ध होगा। • जियो स्पेसियल डाटा, सेवाओं और विश्लेषण के लिए उपकरणों के साथ भुवन, **ISRO द्वारा विकसित एवं संचालित एक राष्ट्रीय जियो-पोर्टल** है।

VISION IAS

उपभोक्ता एप (Consumer App)	• हाल ही में, सरकार ने उपभोक्ता ऐप लॉन्च की है, जो **उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता** करेगी तथा साथ ही, उपभोक्ता से संबंधित मुद्दों पर सुझाव भी प्रदान करेगी। • शिकायतों की स्थिति की मंत्रालय द्वारा **दैनिक आधार पर तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा साप्ताहिक आधार पर निगरानी** की जाएगी। • इससे उपभोक्ताओं को 42 क्षेत्रकों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, जिसमें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, बीमा इत्यादि शामिल हैं।
डिजीलॉकर (DigiLocker)	• यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। • यह दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। • यह प्रत्येक खाताधारक को 1GB तक भंडारण स्पेस प्रदान करता है। • उपयोगकर्ता की मृत्यु होने पर, डिजीलॉकर पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज उसके परिजनों को सुलभ नहीं होंगे और स्वचालित रूप से सरकार को भेज दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (National E-Service Delivery Assessment)	• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA) रैंकिंग जारी की गई। • यह मुख्य रूप से 7 मापदण्डों सरल उपयोग, सामग्री उपलब्धता, पहुँच, सूचना सुरक्षा और गोपनीयता, अंतिम उपभोग हेतु सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण तथा स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग के आधार पर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टलों का आकलन करता है। • फ्रेमवर्क छह क्षेत्रों को कवर करता है, अर्थात वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सरकार और उपयोगिताएँ, समाज कल्याण (कृषि और स्वास्थ्य सहित) और पर्यावरण (अग्नि सहित) क्षेत्र
संतुष्ट पोर्टल (Poratl Santusht)	• 'संतुष्ट' पोर्टल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** की योजनाओं एवं नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।
'आस्क दिशा' चैटबोट (ASKDISHA Chatbot)	• 'आस्क दिशा' चैटबोट **भारतीय रेलवे द्वारा 2018** में प्रारंभ एक कृत्रिम बुद्धिमता आधारित चैटबोट है जिसे IRCTC की विभिन्न सेवाओं के संबंध में रेल यात्रियों की समस्याओं का इंटरनेट के माध्यम से समाधान करने के लिए विकसित किया गया है। • प्रारम्भ में इसे अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था लेकिन अब इसे हिंदी भाषा में बातचीत के लिए अपग्रेड किया गया है।
जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal)	• हाल ही में, **राजस्थान सरकार** द्वारा अपनी तरह के पहले **जन सूचना पोर्टल** का लोकार्पण किया गया। • इस पोर्टल को नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C)** द्वारा विकसित किया गया है। • यह देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है तथा इसमें एक ही मंच पर **13 विभागों की 23 सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी** प्राप्त होगी। • यह पहल **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) की भावना** से प्रेरित है, अर्थात सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण है।

VISION IAS

8.5. सुशासन सूचकांक

(Good Governance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर 'सुशासन सूचकांक' की शुरुआत की गई।



सुशासन सूचकांक (Good Governance Index: GGI) के बारे में

- सुशासन सूचकांक वस्तुतः राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में **सुशासन की स्थिति तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन** करने हेतु विकसित एक साधन है।
- GGI का **उद्देश्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सुशासन की स्थिति की तुलना करने हेतु मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराना है।**
- GGI में चित्र में दर्शाए गए **दस क्षेत्रों** को शामिल किया गया है।
- **राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को तीन समूहों में विभाजित गया है, यथा-** a) बड़े राज्य, b) पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य तथा c) संघ शासित प्रदेश।
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सभी संकेतकों पर पृथक-पृथक रैंक प्रदान की जाती है तथा साथ ही इन संकेतकों के आधार पर उनके संबंधित समूह के अंतर्गत इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग की भी गणना की जाती है।
- GGI शासन को बेहतर बनाने और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण एवं प्रशासन की ओर अभिमुख होने हेतु उपयुक्त रणनीति तैयार करने तथा उसे लागू करने में सहायता प्रदान करता है।

सभी राज्यों की समग्र रैंकिंग

- **बड़े राज्य:** तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का स्थान है।
- **पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य:** हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम का स्थान है।
- **संघ शासित प्रदेश:** पुडुचेरी प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् चंडीगढ़ और दिल्ली का स्थान है।

अन्य संबंधित तथ्य

नागपुर संकल्प (Nagpur Resolution): यह नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसे **नागपुर में आयोजित एक प्रादेशिक सम्मेलन 'लोक सेवा वितरण में सुधार- सरकारों की भूमिका'** के दौरान अपनाया गया था।

- इस सम्मेलन का आयोजन **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) द्वारा महाराष्ट्र सरकार** तथा **महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार आयोग** (Maharashtra State Commission for Right to Public Services) के सहयोग से किया गया था।
- इस प्रस्ताव में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:
 - **नागरिक चार्टर को समयबद्ध तरीके से अद्यतित** कर नागरिकों को सशक्त बनाना;
 - **शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बॉटम-अप एप्रोच** को अपनाकर नागरिकों को सशक्त बनाना;
 - **डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण** हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना;
 - **गत्यात्मक नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय, कार्यान्वयन की निगरानी, प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय और मूल्यांकन** पर ध्यान केंद्रित करना; तथा
 - 10 क्षेत्रों में शासन की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए **सुशासन सूचकांक का समय पर प्रकाशन** सुनिश्चित करना।

VISION

8.6. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2019

(Corruption Perception Index 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI)-2019** का नवीनतम संस्करण जारी किया गया।

इस सूचकांक के बारे में

- इसे प्रतिवर्ष **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा (वर्ष 1995 से) जारी किया जाता है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अपने अनुभवों के आधार पर **180 देशों को रैंक प्रदान करता है।**
- इसमें 0 से 100 तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहां शून्य अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अत्यधिक स्वच्छ छवि वाले देश को इंगित करता है। इस वर्ष जारी CPI में औसत स्कोर 43 तथा दो तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम रहा है।

प्रमुख निष्कर्ष

- इस वर्ष जारी सूचकांक में **डेनमार्क** और **न्यूजीलैंड** ने सयुंक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तथा फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शीर्ष दस स्थानों में शामिल हैं। दक्षिण सूडान और सीरिया की रैंकिंग के बाद सोमालिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।
- भारत की रैंकिंग घटकर 80वीं हो गई है, जबकि इसका स्कोर 41 अंक के साथ स्थिर बना रहा। पाकिस्तान को 120वां स्थान प्रदान किया गया है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- वर्ष 1993 में स्थापित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन (जर्मनी) स्थित एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है।
- यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के मध्य भागीदारी के साथ कार्य करता है।
- यह **ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर** और **ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट** को भी प्रकाशित करता है।

8.7. वन नेशन, वन राशन कार्ड

(One Nation, One Ration Card)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए **'वन नेशन, वन राशन कार्ड'** प्रणाली को लागू करने हेतु 30 जून 2020 की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

राशन कार्ड के बारे में

- राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से **आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार,** राज्य सरकार के एक आदेश या प्राधिकरण के तहत जारी किया गया एक दस्तावेज होता है।
- राज्य सरकारों द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों, निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए **विशिष्ट राशन कार्ड जारी** किए जाते हैं तथा राशन कार्डों की समय-समय पर समीक्षा एवं जांच भी की जाती है।
 - निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को **ब्लू कार्ड** जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वे विशिष्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- यह रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद में सहायता करता है और इस प्रकार धन की बचत करने में सहायक है।
- **पहचान का प्रमाण:** यह अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे मूल निवास संबंधी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने, किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने आदि के लिए पहचान स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2017 में **प्रवासन के संबंध में पार्थ मुखोपाध्याय कार्यकारी समूह** द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुशंसा की गई थी।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IMPDS)** के तहत PDS तक अंत:राज्यीय पहुंच की सुविधा को पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

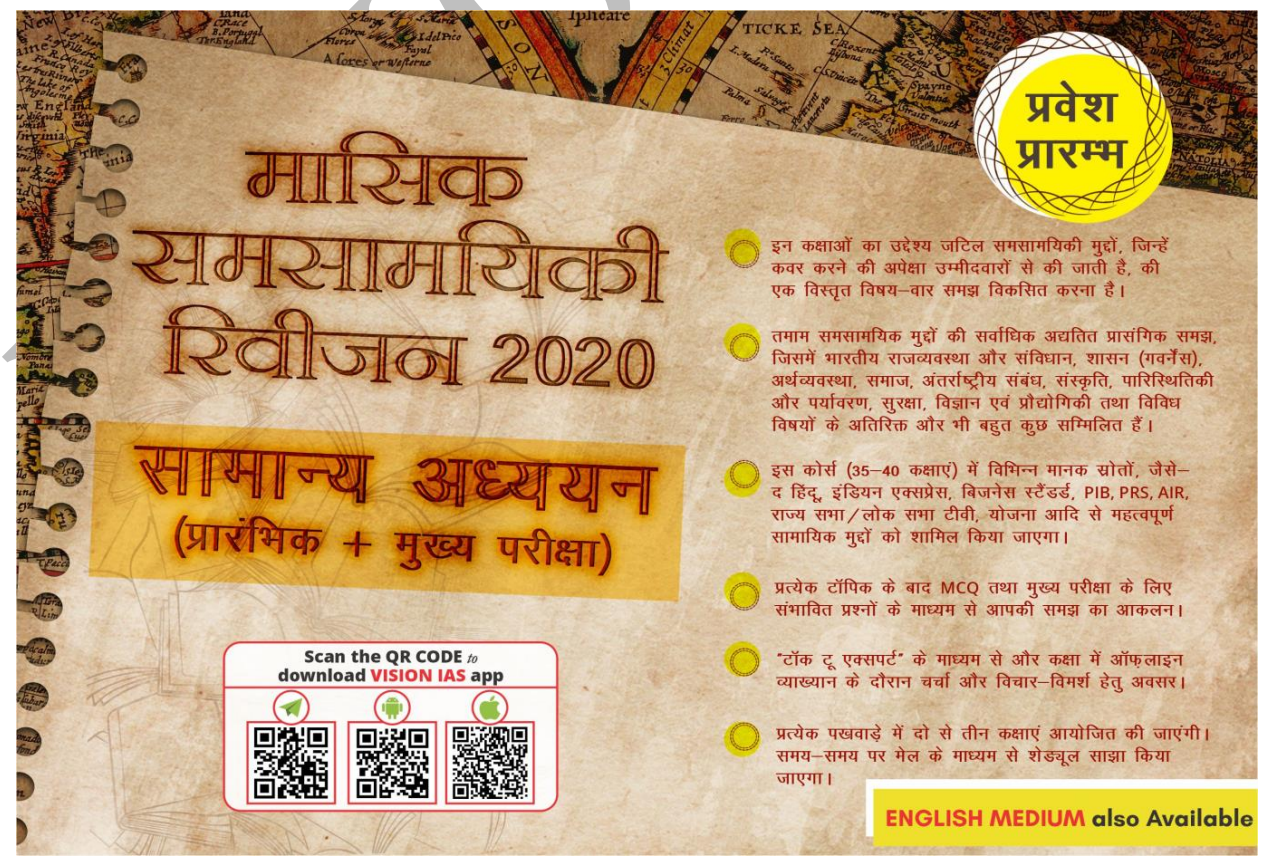
VISION IAS

योजना के बारे में

- योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा देश के किसी भी भाग में राशन की दुकान से **सब्सिडी युक्त अनाज खरीदा जा सकता है।**
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु **राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।**
- एक व्यक्ति केवल **केंद्र द्वारा समर्थित सब्सिडी के लिए ही पात्र होगा** जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शामिल लाभार्थी।
 - यदि कोई लाभार्थी ऐसे राज्य में जाता है जहां मुफ्त में अनाज प्रदान किया जा रहा हो, तो वह उन लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- एक प्रवासी व्यक्ति को परिवार के लिए **निर्धारित कोटे का अधिकतम 50% खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है।** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने के पश्चात् एक ही बार में परिवार के लिए निर्धारित संपूर्ण कोटे की खरीद न कर सके।
- **योजना का लक्ष्य:**
 - प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाना।
 - एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नकली राशन कार्ड धारकों की पहचान करना और उनके नकली राशन कार्डों को समाप्त करना।
 - अनधिकृत रुप से लाभ प्राप्त करने वाले संयुक्त लाभार्थियों का प्रणाली से निष्कासन, रिसाव को रोकने आदि के माध्यम से बढ़ते खाद्य सब्सिडी व्यय को नियंत्रित करना।

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)" योजना

- IM-PDS एक नई **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है, जिसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत कार्यान्वित किया गया है।
- **उद्देश्य:**
 - खाद्यान्न वितरण में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को कार्यान्वित करना।
 - लाभार्थियों से संबंधित डेटा (आधार आधारित) के दोहराव से बचाव (de-duplication) के लिए राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण करना।
 - निरंतर सुधार लाने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स तकनीकों का उपयोग करना।



9. विविध

(Miscellaneous)

9.1. शत्रु संपत्ति

(Enemy Properties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों के विक्रय के संबंध में दो समितियों और एक मंत्री समूह के गठन की घोषणा की है।

शत्रु संपत्ति के बारे में

- जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र/राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न होता है, तो उनके द्वारा प्राय: शत्रु देशों के नागरिकों की संपत्तियों और निगमों को जब्त कर लिया जाता है। इन परिस्थितियों में जब्त की गई संपत्तियों को **'विदेशी संपत्ति' या 'शत्रु संपत्ति'** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान केंद्र सरकार ने डिफेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारत रक्षा अधिनियम) के तहत भारत में स्थित चीन और पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था।
 - शत्रु संपत्तियों के प्रशासन की ज़िम्मेदारी "भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक" (Custodian of Enemy Property for India: CEPI) को सौंपी गई है।
 - CEPI केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है।
- **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968** के अंतर्गत **"शत्रु"** शब्द से आशय एक ऐसे राष्ट्र (और उसके नागरिकों) से है, जिसने भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण किया है (अर्थात्, पाकिस्तान और चीन)।
- **शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 में शामिल "शत्रु प्रजा" और "शत्रु फर्म" शब्द की विस्तारित परिभाषा** के तहत एक शत्रु के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी, चाहे वह भारत का नागरिक हो या शत्रु देश से इतर किसी अन्य देश का नागरिक हो; तथा एक शत्रु फर्म की उत्तरवर्ती फर्म (इनके सदस्यों या भागीदारों की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना) शामिल हैं।
- यह अधिनियम शत्रुओं के विधिक वारिस **भारतीय नागरिकों** को उत्तराधिकार के रूप में शत्रु संपत्ति को प्राप्त करने से **प्रतिबंधित** करता है तथा उन्हें 'शत्रु' की परिभाषा के तहत शामिल करता है।
- यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् वर्ष 1968 से CEPI को शत्रु संपत्तियों का स्वामी बनाता है। अभिरक्षक (CEPI), केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से व इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शत्रु संपत्तियों का चाहे विक्रय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से निपटारा/व्ययन कर सकता है।
- यह अधिनियम **सिविल न्यायालयों** और अन्य अधिकारियों को शत्रु संपत्ति से संबंधित कुछ विवादों की सुनवाई करने से **प्रतिबंधित** करता है।

भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक (Custodian of Enemy Property for India: CEPI)

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब्त की गई शत्रु संपत्तियों से निपटने के लिए CEPI के कार्यालय को वर्ष 1939 में स्थापित किया गया था।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत CEPI के कार्यालय को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- वर्तमान में, CEPI का कार्यालय गृह मंत्रालय के **स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग** का अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्य कार्यालय **नई दिल्ली** में है तथा इसकी तीन शाखाएं मुंबई, कोलकाता एवं लखनऊ में स्थित हैं।
- CEPI शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत एक **अर्द्ध -न्यायिक प्राधिकरण** है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक **दीवानी न्यायालय** के तौर पर कार्य करता है।

VISION IAS

9.2. पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

(Police Commissionerate System)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो शहरों **लखनऊ और नोएडा** के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की है जिसके अंतर्गत शीर्ष पुलिस अधिकारियों को दांडिक शक्तियाँ (Magisterial Powers) प्रदान की जाएंगी।

दोहरी प्रणाली	कमिश्नरी (आयुक्त) प्रणाली
जिला पुलिस में दोहरी कमान संरचना से तात्पर्य यह है कि, जिले में पुलिस पर नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार **पुलिस अधीक्षक** (जिला पुलिस के प्रमुख) और जिलाधिकारी (कार्यकारी) में निहित होता है।	शहर में पुलिस बल के एकमात्र प्रमुख के रूप में **पुलिस आयुक्त** {जो कि उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है} के नेतृत्व में एकीकृत कमान संरचना।
इस व्यवस्था में जिलाधिकारी की शक्तियों (उदाहरणार्थ, गिरफ्तारी वारंट और लाइसेंस जारी करना) और पुलिस की शक्तियों (उदाहरणार्थ, अपराधों की जांच करना और गिरफ्तारी करना) का पृथक्करण होता है। अतः, **जिला स्तर पर पुलिस के पास शक्तियों का संकेद्रण कम होता हैं तथा DM के प्रति जवाबदेही में कमी होती है।**	इस प्रणाली में पुलिस विभाग (policing) और दाण्डिक शक्तियां आयुक्त में निहित होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस की स्थानीय प्रशासन के प्रति जवाबदेही कम होती है। • यह प्रणाली एक एकीकृत कमांड संरचना प्रदान करती है जो त्वरित निर्णय निर्माण में सहायक होती है। यह आयुक्त के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में सहायता करती है और कुछ अनुचित होने पर नागरिक प्रशासन और पुलिस के मध्य दोषा-रोपण की संभावना में कमी करती है। • **यह जिलाधिकारी के कार्यभार को कम करता है।**
पुलिस अधीक्षक (SP) को अतिरिक्त / सहायक / पुलिस उपाधीक्षक (SP), इंस्पेक्टर और पुलिस दल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।	आयुक्त को विशेष / संयुक्त / अतिरिक्त / उपायुक्तों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक के बाद संरचना समान होती है।

9.3. ब्रू समुदाय

(Bru Community)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 23 वर्षों से चले आ रहे **ब्रू-रियांग** शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू समुदाय के नेताओं द्वारा एक समझौता किया गया है।



ब्रू समुदाय के बारे में

- ब्रू पूर्वोत्तर भारत का एक स्थानिक **नृजातीय** समुदाय है, जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में निवास करता है।
- 1997 में, मिजोरम में नृजातीय संघर्ष के बाद, लगभग 34,000 ब्रू मिजोरम से पलायन कर गए और उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में रखा गया। त्रिपुरा में इन्हें **रियांग** के नाम से जाना जाता है।
- नए समझौते के अनुसार, ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा में बस जाएंगे और उन्हें उनके पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी - **प्रत्येक परिवार को जमीन का एक छोटा सा भूखंड प्रदान किया**

जाएगा, उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, मतदान का अधिकार प्रदान किया जाएगा और एक बार की (one-time) वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- उन प्रत्यावर्तित ब्रू शरणार्थियों के लिए मिजोरम सरकार ज़िम्मेदार होगी, जिन्हें 1997 की मिज़ोरम की निर्वाचक नामावली के अनुसार पहचाना और सत्यापित किया गया था।

9.4. लोकतंत्र सूचकांक

(Democracy Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक विश्व में लोकतंत्र की स्थिति को प्रस्तुत करता है। इसके तहत 165 स्वतंत्र राष्ट्रों और दो राज्य क्षेत्रों (territories) को रैंक प्रदान किए गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य-

- यह निर्वाचन प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति तथा नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित है।
- यह 0-10 के पैमाने पर उपर्युक्त श्रेणियों के तहत संकेतकों की एक शृंखला पर प्राप्त अंकों के आधार पर, एक विशेष देश को **चार प्रकार के शासन स्वरूपों** में वर्गीकृत करता है यथा:
 - पूर्ण लोकतंत्र (full democracy)- 22 देश
 - दोषपूर्ण लोकतंत्र (flawed democracy)- 54 देश
 - मिश्रित शासन (hybrid regime)- 37 देश
 - सत्तावादी शासन (authoritarian regime)- 54 देश
- सूचकांक में **नॉर्वे** को **सर्वोच्च स्थान** जबकि **उत्तर कोरिया** को सबसे **निम्न स्थान** प्राप्त हुआ है।
- लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत 10 स्थान की गिरावट के साथ **51वें स्थान** पर आ गया है। भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 में 7.23 से गिरकर वर्ष 2019 में 6.90 हो गया था।
- वर्गीकृत सूचकांक में भारत को **"दोषपूर्ण लोकतंत्र" (flawed democracies) की श्रेणी** में शामिल किया गया है।
 - इन देशों (दोषपूर्ण लोकतंत्र) में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराए जाते हैं तथा यहां मौलिक नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाता है, परन्तु लोकतंत्र के अन्य पहलुओं से संबंधित गंभीर दोष भी विद्यमान हैं, जैसे शासन में समस्याएं, अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता का निम्न स्तर आदि।

9.5. सेंट्रल एडवर्स लिस्ट

(Central Adverse List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा अपनी ब्लैक लिस्ट/केंद्रीय प्रतिकूल सूची(**Central Adverse List**) से 312 सिख विदेशी नागरिकों के नाम हटा दिए गए हैं।

केंद्रीय प्रतिकूल सूची के बारे में -

- यह **सूची गृह मंत्रालय द्वारा** प्रस्तुत की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - इस सूची में 1980 और 90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जो भारत से विदेशों को पलायन कर गए थे।
 - इसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जिन पर आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने का संदेह है अथवा जिन्होंने अपनी पूर्व की भारत यात्रा के दौरान वीज़ा मानदंडों का उल्लंघन किया है।
 - इसमें उन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं अथवा उन पर अपने देशों में बाल यौन अपराधों का आरोप है।
- सूची का प्रयोग समस्त भारतीय मिशनों एवं दूतावासों द्वारा सूची में शामिल व्यक्तियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए (ऐसे व्यक्तियों के वीज़ा आवेदन को अस्वीकृत करके) किया जाता है। यह आंतरिक सुरक्षा के सुरुचिपूर्ण संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम है।

VISION IAS

- इसका उपयोग अपराधियों के भारत आगमन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु किया जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मूल राष्ट्र में अपराध कर अभियोजन से बचने के लिए भारतीय वीज़ा हेतु आवेदन कर सकता है।
- यह सूची सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों के इनपुट के साथ अनुरक्षित है।

9.6. वक़्फ संपत्तियां

(Waqf Properties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संपूर्ण देश में वक़्फ संपत्तियों की 100 प्रतिशत जियो-टैगिंग और डिजिटलीकरण हेतु एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है, ताकि इन संपत्तियों का समाज के कल्याणार्थ उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

वक़्फ संपत्तियों के संबंध में-

- वक़्फ का तात्पर्य किसी मुस्लिम द्वारा चल या अचल, मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति का ईश्वर को धर्मार्थ दान से है, जो इस अवधारणा पर आधारित है कि यह हस्तांतरण ज़रूरतमंद लोगों के लाभार्थ किया जा रहा है।
- इसमें सामान्तया मुस्लिमों के धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु किसी **भवन, भूखंड या अन्य परिसंपत्तियों का दान** शामिल है, जिसमें परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कोई दावा नहीं किया जाता।
- वक़्फ का संचालन वक़्फ **अधिनियम, 1995** द्वारा किया जाता है। वक़्फ का प्रबंधन एक मुतावली (प्रबंधक) द्वारा किया जाता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित एक न्यास के समान है, **परन्तु न्यास धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की तुलना में व्यापक प्रयोजनार्थ स्थापित किए जा सकते हैं।**
- **वक़्फ बोर्ड संपत्ति प्राप्त करने और उसे अपने अधिकार में रखने तथा ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति से युक्त एक विधिक निकाय है।** वक़्फ बोर्ड मुकदमा दायर कर सकता है और इसके विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि इसे एक कानूनी संस्था या विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। **प्रत्येक राज्य में एक वक़्फ बोर्ड होता है।**

केंद्रीय वक़्फ परिषद

- केंद्रीय वक़्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है, जिसे **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में वक़्फ अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1964 में एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- वक़्फ परिषद का एक अध्यक्ष होता है, जो वक्फ का प्रभारी केंद्रीय मंत्री होता है और इसमें 20 से अनधिक सदस्य होते हैं तथा इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, **केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं।**
- यह परिषद **केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को परामर्श प्रदान** करने हेतु प्राधिकृत है। परिषद बोर्ड/राज्य सरकार को बोर्ड के प्रदर्शन पर विशेष रूप से उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

9.7. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991

{Places of Worship (Special Provisions) Act 1991}

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने अपने **अयोध्या निर्णय** में **उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम ,1991** का उल्लेख किया था।

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम ,1991 के बारे में

- यह अधिनियम घोषणा करता है कि किसी भी **उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा कि वह 15 अगस्त,1947 को था।**
- अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को उससे भिन्न संप्रदाय या वर्ग में संपरिवर्तित नहीं करेगा।
- यह राज्यों पर एक सकारात्मक दायित्व लागू करता है कि वे उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को वैसा ही बनाए रखें जैसा कि वे स्वतंत्रता के समय थे।

VISION IAS

- यह घोषणा करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी उपासना स्थल के स्वरूप के संपरिवर्तन से संबंधित **सभी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां,** इस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी।
- अधिनियम के प्रवर्तन से **छूट:**
 - **अयोध्या** के विवादित स्थल को **अधिनियम से छूट** प्रदान की गयी है।
 - यह अधिनियम उन स्मारकों तथा स्थलों पर लागू नहीं होता, जो **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के अंतर्गत आते हैं।
- **दंड: अधिनियम की धारा 6 के अनुसार** अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन वर्ष के कारावास के दंड के साथ अर्थदंड भी आरोपित किया जाएगा।



Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.